सत्यमेव जयते

नूतन क्षितिज

SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

अठारहवां संस्करण

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा II), पश्चिम बंगाल, कोलकाता-700064

पत्रिका परिवार

संरक्षक

श्री मनीष कुमार

प्रधान महालेखाकार

मार्गदर्शक

श्री सतीश एम.

वरिष्ठ उप-महालेखाकार (प्रशासन)

संपादक

श्री वसीम मिन्हास

सहायक निदेशक (राजभाषा)

सहयोगी संपादक मंडल

श्री राजीव दास

वरिष्ठ अनुवादक

श्री अमित कुमार साह

कनिष्ठ अनुवादक

सुश्री सुमन कुमारी

कनिष्ठ अनुवादक

श्री अभिनव कुमार

कनिष्ठ अनुवादक

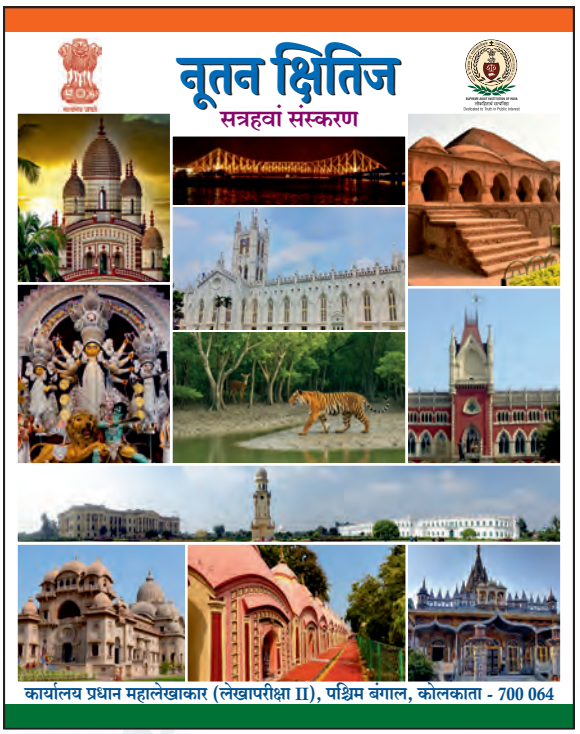

गतांक से आगे ...

* संपादक मण्डल का रचनाकारों के विचारों से सहमत होना आवश्यक नहीं है। रचनाकार के विचार उनके स्वयं के हैं।

नूतन क्षितिज

स्वत्वाधिकार

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा- II), पश्चिम बंगाल

प्रकाशन

नूतन क्षितिज (हिंदी पत्रिका)

वर्ष

2026

अंक

अठारहवां

मूल्य

राजभाषा के प्रति निष्ठा

प्रकाशक

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा - II), पश्चिम बंगाल
सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, तृतीय बहुतलीय कार्यालय भवन, पाँचवा तल
सॉल्ट लेक, कोलकाता - 700 064

कार्यालय में राजभाषा हिंदी की प्रगति का संक्षिप्त विवरण

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II) पश्चिम बंगाल का कार्यालय जितना अपने मूल विभागीय कार्य के प्रति सजग एवं दक्ष है उतना ही राजभाषा कार्यान्वयन के प्रति भी समर्पित है क्योंकि राजभाषा नीति का सुचारु कार्यान्वयन करना सभी विभागों का संवैधानिक दायित्व है। कार्यालय में राजभाषा कार्यान्वयन सुचारु ढंग से हो इसके लिए कार्यालय का हिंदी कक्ष मुख्यालय के राजभाषा अनुभाग द्वारा जारी दिशानिर्देशों तथा राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी वार्षिक कैलेंडर के अनुसरण में कार्यालय में हिंदी के कार्यान्वयन की गतिविधियों का अनुपालन सुनिश्चित करवाने हेतु प्रयासरत है। कार्यालय में वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान हिंदी पत्राचार तथा हिंदी में टिप्पणी लेखन की प्रतिशतता, राजभाषा विभाग द्वारा "ग" क्षेत्र के लिए हिंदी पत्राचार तथा हिंदी टिप्पणी लेखन हेतु निर्धारित लक्ष्य से अधिक रही।

वर्ष के दौरान कार्यालय में हिंदी के कार्य को बढ़ावा देने हेतु 4 हिन्दी कार्यशालाओं का आयोजन किया गया जिसमें कार्यालयीन हिंदी, राजभाषा अधिनियम, नियम, प्रावधान, हिंदी तिमाही रिपोर्ट सटीक रूप से भरने जैसे विषयों पर प्रशिक्षण दिया गया।

साथ ही, कार्यालय में वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान दिनांक 16.09.2025 से दिनांक 26.09.2025 तक हिंदी पखवाड़ा का सफल आयोजन किया गया तथा वार्षिक हिंदी गृह पत्रिका "नूतन क्षितिज" के 17वें अंक का विमोचन दिनांक 26.09.2025 को किया गया।

प्रधान महालेखाकार का संदेश

मुझे यह जानकर अत्यंत हर्ष एवं गर्व की अनुभूति हो रही है कि कार्यालय - प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II), पश्चिम बंगाल की हिंदी गृह पत्रिका **"नूतन क्षितिज"** के 18वें अंक का प्रकाशन हो रहा है। यह पत्रिका विभागीय स्तर पर राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार का एक सशक्त माध्यम रही है तथा हिंदी भाषा के विकास एवं संवर्धन में निरंतर महत्वपूर्ण योगदान देती रही है। विभागीय पत्रिकाएँ न केवल राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, बल्कि कार्यालयीन कार्यों में रचनात्मकता, साहित्यिक अभिव्यक्ति तथा सांस्कृतिक गतिविधियों का भी एक दर्पण है। इसके माध्यम से कार्यालयीन परिवेश में सकारात्मक सोच, रचनात्मक ऊर्जा एवं सांस्कृतिक जागरूकता को बढ़ावा मिलता है जिससे कार्यस्थल का वातावरण अधिक प्रेरणादायक एवं सृजनशील बनता है।

हम सभी का यह संवैधानिक दायित्व है कि हम अपने दैनिक कार्यालयीन कार्यों में अधिक से अधिक हिंदी का प्रयोग करें, ताकि राजभाषा हिंदी को उसका उचित स्थान एवं सम्मान प्राप्त हो सके। पत्रिका के संपादकीय मंडल, रचनाकारों एवं इसके सफल प्रकाशन में योगदान देने वाले सभी कर्मियों को मैं हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ प्रेषित करता हूँ तथा इस पत्रिका के निरंतर विकास, लोकप्रियता एवं उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ।

13/3/2026

(मनीष कुमार)
प्रधान महालेखाकार

वरिष्ठ उप-महालेखाकार/प्रशासन का संदेश

यह जानकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता एवं गौरव की अनुभूति हो रही है कि कार्यालय - प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II), पश्चिम बंगाल की हिंदी गृह पत्रिका **"नूतन क्षितिज"** के 18वें अंक का प्रकाशन होने जा रहा है। इस प्रकार की पत्रिकाएँ न केवल कर्मचारियों एवं अधिकारियों को अपनी रचनात्मक प्रतिभा प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करती हैं, बल्कि कार्यालयीन वातावरण में साहित्यिक, सांस्कृतिक एवं बौद्धिक चेतना को भी सुदृढ़ करती हैं। विभागीय हिंदी पत्रिकाएँ हिंदी भाषा के विकास, साहित्यिक सृजन तथा रचनात्मक विचारों के आदान-प्रदान में एक सशक्त माध्यम के रूप में कार्य करती हैं।

राजभाषा हिंदी के प्रति हमारी प्रतिबद्धता यह अपेक्षा करती है कि हम अपने दैनिक कार्यालयीन कार्यों में सरल, सहज एवं सुगम हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग करें तथा इसे व्यवहार में उतारने के लिए निरंतर प्रयासरत रहें। हिंदी एक समृद्ध, सशक्त एवं प्रभावशाली भाषा है, जिसमें कार्य करना न केवल सरल है, बल्कि हमारे लिए गर्व का विषय भी है। हिंदी के अधिक प्रयोग से न केवल राजभाषा के प्रचार-प्रसार को गति मिलेगी, बल्कि कार्यालयीन कार्यों में पारदर्शिता, स्पष्टता, प्रभावशीलता एवं कार्यकुशलता में भी उल्लेखनीय वृद्धि होगी। पत्रिका के प्रकाशन में सहयोग देने वाले सभी सदस्यों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएँ।

सतीश

(सतीश एम.)
वरिष्ठ उप-महालेखाकार/प्रशासन

उपमहालेखाकार/ए.एम.जी.-III का संदेश

मुझे यह जानकर अपार आनंद की अनुभूति हो रही है कि कार्यालय - प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II), पश्चिम बंगाल की हिंदी गृह पत्रिका **"नूतन क्षितिज"** के 18वें अंक का प्रकाशन संपन्न होने जा रहा है। विभागीय पत्रिकाएँ कार्यालयीन परिवेश में साहित्यिक, सांस्कृतिक एवं बौद्धिक चेतना को सुदृढ़ बनाती हैं तथा सकारात्मक कार्य-संस्कृति के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। साथ ही, विभागीय पत्रिकाएँ कर्मचारियों एवं अधिकारियों को अपनी साहित्यिक प्रतिभा, रचनात्मक विचारों तथा मौलिक अभिव्यक्ति को प्रस्तुत करने का एक उत्कृष्ट मंच भी प्रदान करती हैं। इनके माध्यम से कर्मचारियों के भीतर छिपी रचनात्मक ऊर्जा को प्रोत्साहन मिलता है।

हिंदी एक समृद्ध, सशक्त, सरल एवं गौरवशाली भाषा है, और इसमें कार्य करना हम सभी के लिए सम्मान एवं गर्व का विषय है। हमें पूर्ण निष्ठा, आत्मविश्वास एवं गर्व के साथ अपने दैनिक कार्यालयीन कार्यों में हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग करना चाहिए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह पत्रिका पाठकों के लिए ज्ञानवर्धक, प्रेरणादायक एवं रुचिकर सिद्ध होगी तथा हिंदी भाषा के प्रति प्रेम, सम्मान एवं जागरूकता को और अधिक सुदृढ़ करेगी। पत्रिका के सफल प्रकाशन में योगदान देने वाले सभी कर्मियों को मैं हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ देता हूँ।

(शिशिर कुमार श्रीवास्तव)
उपमहालेखाकार /ए.एम.जी.-III

उपमहालेखाकार/ए.एम.जी.-IV का संदेश

कार्यालय - प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II), पश्चिम बंगाल की हिंदी गृह पत्रिका **"नूतन क्षितिज"** के 18वें अंक का प्रकाशन अत्यंत हर्ष एवं प्रसन्नता का विषय है। राजभाषा हिंदी सम्पूर्ण भारत को एक सूत्र में जोड़ने का काम करती है। साहित्य की विभिन्न विधाओं एवं राजभाषा संबंधी स्तंभों से सुसज्जित यह अंक उसी सूत्र का छोटा सा भाग है। हिंदी हमारी राष्ट्रीयता का प्रतीक होने के साथ-साथ राजभाषा भी है। अतः हम दोनों भूमिकाओं के प्रति उत्तरदायी हैं। हम सब अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वाह करते हुए राजभाषा को प्रगति के पथ पर ले जाने में सफल हो रहे हैं।

"नूतन क्षितिज" पत्रिका के निरंतर प्रकाशन से हम अपनी साहित्यिक प्रतिभा को पाठकों के समक्ष सफलतापूर्वक प्रस्तुत करते आ रहे हैं। नियमित पत्रिका प्रकाशन राजभाषा को प्रगति पथ पर ले जाने की दिशा में एक सशक्त एवं अत्यंत प्रभावशाली कदम है। मैं पत्रिका के प्रकाशन में अपना रचनात्मक योगदान देने वाले पाठकों, रचनाकारों तथा संपादक मंडल को हार्दिक शुभकामनाएँ देता हूँ।

31/3/26

(अलतमश ग़ाज़ी)

उपमहालेखाकार/ए.एम.जी.-IV

संपादकीय

कार्यालय - प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II), पश्चिम बंगाल की हिंदी गृह पत्रिका **"नूतन क्षितिज"** के 18वें अंक का प्रकाशन अत्यंत गौरव, हर्ष एवं प्रसन्नता का विषय है। यह विभागीय पत्रिका राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार का एक महत्वपूर्ण एवं सशक्त माध्यम रही है तथा हिंदी भाषा के विकास, संवर्धन एवं प्रसार में निरंतर उल्लेखनीय योगदान देती आ रही है। हमें गर्व के साथ यह संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने दैनिक कार्यालयीन कार्यों में सरल, स्पष्ट, सहज एवं प्रभावी हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग करेंगे तथा राजभाषा हिंदी को व्यवहार में अपनाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहेंगे। हिंदी एक समृद्ध, सशक्त एवं गौरवशाली भाषा है, और इसमें कार्य करना हम सभी के लिए सम्मान की बात है। कार्यालय - प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II), पश्चिम बंगाल में राजभाषा हिंदी की विकास यात्रा में हिंदी गृह पत्रिका "नूतन क्षितिज" का अतुलनीय योगदान रहा है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि "नूतन क्षितिज" पत्रिका का यह अंक भी राजभाषा हिंदी के प्रति आपकी प्रतिबद्धता को और अधिक सुदृढ़ करेगा।

हम सभी को प्रधान महालेखाकार महोदय से प्रेरणा, प्रोत्साहन एवं बहुमूल्य मार्गदर्शन प्राप्त होता है, साथ ही वरिष्ठ उप-महालेखाकार/प्रशासन महोदय का कुशल मार्गदर्शन हम सभी के लिए प्रेरणादायी है, इसके लिए मैं उनका हृदय से आभारी हूँ। पत्रिका के प्रकाशन से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े सभी कार्मिकों के प्रति मैं हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ तथा सुधी पाठकों से निवेदन करता हूँ कि कृपया अपने बहुमूल्य विचारों से हमें अवगत करायें।

वसीम मिन्हास

(वसीम मिन्हास)

सहायक निदेशक/राजभाषा

अनुक्रमणिका

क्रम सं.	शीर्षक	रचनाकार	पृष्ठ सं.
1.	एक सरकारी कर्मचारी की नज़र से आयकर का महत्व	श्री नवीन कुमार	1
2.	प्राकृतिक संसाधनों का महत्व	श्री राहुल रंजन	3
3.	भारत की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली	श्री सुमन दत्त	5
4.	भारत से प्रतिभा पलायन – एक चुनौती	सुश्री रश्मि सिंह	9
5.	अडिग योद्धा	श्री शेखर प्रियदर्शी	14
6.	घरेलू मैदान पर भारतीय टेस्ट क्रिकेट टीम के हालिया निराशाजनक प्रदर्शन	श्री कौशिक चक्रवर्ती	15
7.	अनुभव	श्री कौशिक चक्रवर्ती	19
8.	मिट्टी के बर्तन वाले बाबा	सुश्री सुमन कुमारी	20
9.	जीवन का मूल्य	श्री अमित कुमार साह	22
10.	हरिद्वार – हिंदू आस्था और धर्म का जीवंत प्रतीक	श्री राजीव दास	25
11.	पिता के साये में	सुश्री सुमन कुमारी	28
12.	जीवन में वित्तीय अनुशासन का महत्व	श्री वसीम मिन्हास	30
13.	गोंड जाति (जनजाति)	श्री सूजय प्रसाद	32
14.	भाषा प्रयुक्ति	श्री अभिनव कुमार	34
15.	आँसू	सुश्री नीलम प्रसाद	35
16.	मेरा दोस्त	श्री दिव्यांश प्रसाद	36
17.	राजभाषा नियम, 1976		37
18.	कार्यालय द्वारा आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों की झलकियाँ		42–49
19.	आपके पत्र		50–52

एक सरकारी कर्मचारी की नज़र से आयकर का महत्व

आयकर के विषय में बात करते समय एक प्रश्न अक्सर सामने आता है — "एक व्यक्ति अर्थात मेरे अकेले टैक्स देने से क्या फर्क पड़ता है?" यह सोच आम है, लेकिन गलत है। अगर एक व्यक्ति भी यह सोचकर टैक्स देने से बचेगा, तो धीरे-धीरे यह मानसिकता समाज में फैल जाएगी, और इसका परिणाम होगा — राष्ट्र की राजस्व क्षति। राष्ट्र निर्माण में प्रत्येक करदाता का योगदान उतना ही महत्वपूर्ण है, जितना किसी बड़े उद्योगपति का। एक सरकारी कर्मचारी, विशेषकर वें जो वित्त, लेखा या प्रशासनिक विभागों में कार्यरत होते हैं, वे भलीभांति जानते हैं कि टैक्सपेयर्स के पैसे से ही सरकार अपनी योजनाओं को ज़मीन पर उतारती है। यह बात हमारी दिनचर्या का हिस्सा बन जानी चाहिए कि हर फॉर्म, बिल, योजना या पॉलिसी के पीछे कहीं न कहीं एक करदाता की हिस्सेदारी होती है।

आयकर से प्राप्त धन को हम केवल आंकड़ों के रूप में न देखें। अपितु यह सोचें कि — इस धन का प्रयोग सड़क पर बने उस स्पीड ब्रेकर के निर्माण के लिए किया गया है, जिसने किसी एक्सीडेंट को टाला, इस धन का उपयोग उस ट्रैफिक सिग्नल के निर्माण में किया गया है जिससे सुचारू ट्राफिक व्यवस्था बनी रहती है, उस सीसीटीवी में है जो अपराध को रोकता है, और उस आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की तनख्वाह में है जो गांव में बच्चों को पोषण देती है। हमारे देश में टैक्स अनुपालन की दर अभी भी बहुत कम है। देश की आबादी और आर्थिक स्थिति को देखते हुए यह प्रतिशत कहीं अधिक होना चाहिए। एक सरकारी कर्मचारी, विशेषकर जो कर से जुड़े विभाग में नहीं भी है, वह भी समाज में टैक्स के प्रति जागरूकता फैलाने वाला एक जिम्मेदार नागरिक बन सकता है। उदाहरण के तौर पर — जब कोई कर नहीं भरता है, तो वह नागरिक सुविधाओं का उपभोग तो करता है लेकिन उसमें कोई योगदान नहीं देता। यह एक "फ्री राइडर" की स्थिति बन जाती है, जो समाज की नैतिकता और आर्थिक स्थिरता के लिए सही नहीं है।

अगर हम अपने आयकर को सामाजिक दायित्व के रूप में देखें, तो इससे जुड़ी कई भ्रांतियाँ स्वयं ही समाप्त हो जाएँगी। हमे समझना चाहिए कि टैक्स "दंड" नहीं है, बल्कि राष्ट्र सेवा की एक शांत प्रक्रिया है। एक सैनिक देश के लिए सीमा पर लड़ता है, एक शिक्षक बच्चों को शिक्षा देता है, एक डॉक्टर लोगों का इलाज करता है — वैसे ही एक करदाता भी अपने हिस्से की लड़ाई देश के भीतर रहकर लड़ता है।

आज के इस नए भारत में जहां एक ओर स्मार्ट सिटी, हाई स्पीड रेल, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, आत्मनिर्भर भारत जैसे अभियान चल रहे हैं, वहीं दूसरी ओर टैक्स से मिलने वाले राजस्व के कारण भारत की अर्थव्यवस्था भी कहीं न कहीं और अधिक सुदृढ़ हो रही है। सरकारी कर्मचारियों के लिए इन अभियानों का हिस्सा होना सौभाग्य की बात है, लेकिन उसमें हमारी आर्थिक हिस्सेदारी भी उतनी ही अहम है। आयकर की प्रक्रिया केवल पैसा देना नहीं, बल्कि राष्ट्र के साथ ईमानदारी का रिश्ता बनाना भी है। यह रिश्ता तब और मजबूत होता है जब हमः

- समय पर रिटर्न फाइल करते हैं,
- छूट का दुरुपयोग नहीं करते,
- नकली बिल नहीं बनाते,
- गलत जानकारी नहीं देते,
- कर विभाग के निर्देशों का पालन करते हैं।

आज टैक्स भरने की प्रणाली तकनीकी रूप से काफी सरल हो चुकी है, लेकिन मानसिक रूप से अनेक लोगों के लिए यह अभी भी 'मुश्किल' बनी हुई है। एक सरकारी कर्मचारी,

जो तकनीकी और कर-प्रणाली से थोड़ा बेहतर रूप से परिचित होता है, वह अन्य नागरिकों के लिए एक मार्गदर्शक बन सकता है। किसी बुजुर्ग को अगर रिटर्न फाइल करना नहीं आता, तो क्या हम उनकी मदद नहीं कर सकते? क्या हम अपने आस-पास के लोगों को टैक्स प्रणाली के बारे में शिक्षित नहीं कर सकते? देश को आवश्यकता है सिर्फ टैक्स देने वालों की नहीं, टैक्स के प्रचारक और सजग समर्थकों की भी। सरकारी कर्मचारी इस क्षेत्र में सर्वोत्तम भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि वे स्वभाविक रूप से प्रशासनिक अनुशासन और सामाजिक ज़िम्मेदारी को बेहतर समझते हैं। अब बात आती है टैक्स प्लानिंग की। यह बहुत जरूरी है कि एक कर्मचारी अपने टैक्स को इस प्रकार नियोजित करे कि वह कर बचत करते हुए राष्ट्र के प्रति अपनी हिस्सेदारी भी निभाए और अपने परिवार के भविष्य को भी सुरक्षित बनाए। इस उद्देश्य से निवेश जैसे — PPF, NPS, ELSS, LIC, 80C के अंतर्गत किए जाने वाले अन्य निवेश, स्वास्थ्य बीमा, हाउसिंग लोन आदि, टैक्स छूट के साथ-साथ वित्तीय सुरक्षा भी प्रदान करते हैं। सरकारी कर्मचारी अक्सर स्थायित्व और अनुशासन का प्रतीक माने जाते हैं। यदि वही वर्ग टैक्स चुकाने में चूक करेगा या उसे हल्के में लेगा, तो समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा? एक कर्मचारी का यह उत्तरदायित्व बनता है कि वह टैक्स भरने में दूसरों के लिए एक प्रेरणा बने। अब जब देश इस डिजिटल युग में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, आयकर विभाग भी अब एक जनसहयोग आधारित संस्था बन गया है। Faceless Assessment, e-verification, और नई AIS प्रणाली जैसी तकनीकी सुधारों ने पूरे टैक्स सिस्टम को नागरिकों के लिए सुविधाजनक बना दिया है। सरकारी कर्मचारियों को इसमें पूर्णतः दक्ष होना चाहिए, ताकि वे व्यक्तिगत रूप से भी इससे लाभान्वित हों और दूसरों को भी इसका उपयोग करने में सहायता कर सकें। आइए हम यह सोचें कि टैक्स का वास्तविक स्वरूप क्या है। यह केवल सरकार को दी जाने वाली राशि नहीं है, यह एक विकास निधि है जो शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, ऊर्जा, कृषि, वैज्ञानिक अनुसंधान, और अंतरिक्ष अन्वेषण जैसे क्षेत्रों में खर्च होती है। "वह बच्चा जो पहली बार स्कूल जा रहा है, वह बुज़ुर्ग जो आयुष्मान योजना से मुफ्त इलाज करवा रहा है, वह सड़क जो गाँव को शहर से जोड़ रही है" इन सभी में हमारे टैक्स की शक्ति छिपी है।

इसलिए टैक्सपेयर के रूप में हमें अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए। हम ससमय टैक्स प्रदान कर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्र-निर्माण में अपनी भूमिका निभाते हैं जिसकी झलक हम – किसी किसान की मुस्कान, किसी छात्र की सफलता, तथा किसी सैनिक की सुरक्षा में देख सकते हैं। एक सरकारी कर्मचारी के रूप में, हम देश की व्यवस्था के प्रतिनिधि होते हैं। हमारी प्रत्येक गतिविधि, प्रत्येक शब्द और प्रत्येक चूक, समाज के लिए उदाहरण बनती है। जब हम समय पर टैक्स भरते हैं, तो हम एक ऐसी पीढ़ी को संदेश देते हैं जो आने वाले कल को संवार सकती है। हम केवल एक नौकरी नहीं कर रहे होते, हम देश का आधार तैयार कर रहे होते हैं। आयकर एक कागज़ी जिम्मेदारी नहीं, यह हमारे संविधान, हमारे समाज और हमारी आत्मा से जुड़ा हुआ कर्तव्य है।

"मैं एक सरकारी कर्मचारी हूँ, मेरी सेवा मेरी पहचान है, और मेरा टैक्स मेरा अभिमान है।"

"मैं टैक्स देता हूँ, क्योंकि मुझे फर्क पड़ता है।"

श्री नवीन कुमार
डाटा एंट्री ऑपरेटर

प्राकृतिक संसाधनों का महत्व

प्राकृतिक संसाधनों का महत्व

प्रकृति के वे जैविक पहलू जो हमारे जीवन में योगदान देते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। जीवित रहने के लिए हम प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर रहते हैं। प्राकृतिक संसाधनों में हवा, पानी, मिट्टी, खनिज, फसलें आदि शामिल हैं। खनिज, तेल और अन्य संसाधन निर्जीव तत्वों में पाए जाते हैं जो कि गैर-नवीकरणीय होते हैं और इन्हें बनने में बहुत लंबा समय लगता है। सरल भाषा में, प्राकृतिक संसाधन प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ हैं जो मानव जाति के लिए उपयोगी हैं। ये तकनीकी, आर्थिक या सामाजिक संदर्भों में भी कई तरह से उपयोगी हो सकते हैं। इन संसाधनों में भवन निर्माण, वस्त्र सामग्री, भोजन, जल, उर्वरक और भूतापीय ऊर्जा शामिल हैं। प्राकृतिक संसाधन पारंपरिक रूप से प्राकृतिक विज्ञान के दायरे में आते थे।

प्राकृतिक संसाधनों के प्रकार

नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधनः- नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन, जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि वे स्वाभाविक रूप से नवीनीकृत किए जा सकते हैं और बार-बार उपयोग में लाये जा सकते हैं, जैसे पानी, सौर ऊर्जा, लकड़ी, बायोमास, वायु और मिट्टी इत्यादि इस श्रेणी के अंतर्गत आते है। हालांकि इनमें से कई संसाधन जैसे पानी, वायु और सूरज की रोशनी आसानी से नवीकरणीय किये जा सकते हैं, परंतु लकड़ी और मिट्टी जैसे कुछ प्राकृतिक संसाधनों को नवीनीकृत करने में समय लगता है।

अनवीकरणीय प्राकृतिक संसाधनः- ये वे संसाधन हैं जिन्हें नवीनीकृत या पुनर्नवीनीकरण नहीं किया जा सकता क्योंकि इन्हें बनने में बहुत लंबा समय लग जाता है। कोयले, तेल, खनिज और प्राकृतिक गैस अनवीकरणीय प्राकृतिक संसाधनों के उदाहरण हैं। स्वाभाविक रूप से किसी भी मानव हस्तक्षेप के बिना, खनिज पदार्थों जैसे अनवीकरणीय प्राकृतिक संसाधनों को बनने में हजारों साल लग जाते हैं।

प्राकृतिक संसाधनों का दोहन

मनुष्य अपने जीविकोपार्जन के लिये प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करता है। प्राचीन काल में आदिम-मानव अपने पर्यावरण से प्राप्त वनस्पतियों एवं पशुओं पर निर्भर था। उस समय जनसंख्या का घनत्व कम था, मनुष्य की आवश्यकताएँ सीमित थीं तथा प्रौद्योगिकी का स्तर नीचे था। अतः उस समय संरक्षण की समस्या नहीं थी। कालान्तर में मनुष्य ने संसाधनों के दोहन की प्रौद्योगिकी में विकास किया। वैज्ञानिक तथा तकनीकी विकास द्वारा मनुष्य जीविकोपार्जी संसाधनों के अतिरिक्त, उत्पादन के संसाधनों का भी दोहन करने लगा। आज आधुनिक तकनीकी की सहायता से संसाधनों का दोहन और भी बड़े पैमाने पर होने लगा है। जनसंख्या की निरंतर वृद्धि के कारण संसाधनों की मांग बढ़ रही है साथ ही प्रौद्योगिकी के विकास द्वारा इन्हें उपभोग करने की मनुष्य की क्षमता भी बढ़ी है अतः इस होड़ ने यह आशंका उत्पन्न कर दी है कि कहीं ये संसाधन शीघ्र समाप्त न हो जाएँ और पूरी मानवता के जीवन पर ही प्रश्नचिन्ह न लग जाए।

प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग

प्राकृतिक संपदाओं का योजनाबद्ध और विवेकपूर्ण उपयोग किया जाए तो उनसे अधिक दिनों तक लाभ उठाया जा सकता है, वे भविष्य के लिये संरक्षित रह सकती हैं। संपदाओं या संसाधनों का योजनाबद्ध समुचित और विवेकपूर्ण उपयोग ही उनका संरक्षण है। संरक्षण का यह अर्थ कदापि नहीं कि —

1. प्राकृतिक साधनों का प्रयोग न कर उनकी रक्षा की जाए या
2. उनके उपयोग में कंजूसी की जाए या
3. उनकी आवश्यकता के बावजूद उन्हें बचाकर भविष्य के लिये रखा जाए। वरन संरक्षण से हमारा तात्पर्य है कि संसाधनों या संपदाओं का अधिकाधिक समय तक अधिकाधिक मनुष्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु समुचित उपयोग।

मानव विभिन्न प्राकृतिक साधनों का उपयोग अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिये करता आ रहा है। खाद्यान्नों और अन्य कच्चे पदार्थों की पूर्ति के लिये उसने भूमि को जोता है, सिंचाई और शक्ति के विकास के लिये उसने वन्य पदार्थों एवं खनिजों का शोषण और उपयोग किया है। पिछली दो शताब्दियों में जनसंख्या तथा औद्योगिक उत्पादनों की वृद्धि तीव्र गति से हुई है। विश्व की जनसंख्या आज से दो सौ वर्ष पूर्व जहाँ पौने दो अरब थी वहाँ सवा पाँच अरब पहुँच चुकी है। हमारे भोजन, वस्त्र, आवास, परिवहन, साधन, विभिन्न प्रकार के यंत्र, औद्योगिक कच्चे माल आदि की खपत कई गुना बढ़ गई है और इस कारण हम प्राकृतिक संसाधनों का तेजी से गलत व विनाशकारी ढंग से शोषण करते जा रहे हैं। उदाहरणार्थ, पिछली दो शताब्दियों में करोड़ों हेक्टेयर भूमि से प्राकृतिक वनस्पतियों वन आदि को साफ किया गया जिससे मिट्टी का कटाव कई गुना बढ़ गया। भूमि के गलत उपयोग से उसकी उत्पादन क्षमता घट गयी। विभिन्न खनिज पदार्थों की संचित राशि समाप्तप्राय हो गयी है। हम हवा और पानी को भी प्रकृति का मुफ्त देन समझकर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दूषित करने लगे हैं। अनेक जीव जंतुओं का भी हमने सफाया कर दिया। तात्पर्य यह है कि प्राकृतिक संतुलन बिगड़ने लगा है। यदि यह संतुलन नष्ट हुआ तो मानव का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। अतः मानव के अस्तित्व एवं प्रगति के लिये प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण अत्यावश्यक हो चला है।

प्राकृतिक संपदा हमारी पूँजी है जिसका लाभकारी कार्यों में सुनियोजित ढंग से उपयोग होना चाहिए। इसके लिये पहले हमें किसी देश या प्रदेश के संसाधनों की जानकारी होनी चाहिए। फिर हमें ध्यान रखना चाहिए कि विभिन्न संसाधन परस्परावलम्बी तथा परस्पर प्रभावोत्पादक होते हैं अतः एक का ह्रास हो या नाश हो तो उसका कुप्रभाव पूरे आर्थिक चक्र पर पड़ता है। हमें इनका उपयोग प्राथमिकता के आधार पर करना चाहिए। जो संसाधन या प्राकृतिक संपदा सीमित है उसे अंधाधुंध समाप्त करना अदूरदर्शिता है। सीमित परिभाग वाली संपदा (यथा कोयला, पेट्रोलियम) के विकल्प की खोज करते रहना श्रेयस्कर है। संसाधनों के संरक्षण के लिये सरकारी तथा गैर सरकारी स्तर पर पूर्ण सहयोग मिलना आवश्यक है।

निष्कर्ष

हम जानबूझकर या अनजाने में दैनिक आधार पर प्राकृतिक संसाधनों का उपभोग करते हैं। हालांकि इनमें से कुछ वातावरण में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती हैं और कुछ बहुत तेजी से कम होती जा रही हैं। हमें प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग समझदारी से करना चाहिए ताकि किसी भी प्रकार से संसाधनों की बर्बादी को रोका जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि ये हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए उपलब्ध रहे। प्रत्येक देश की सरकार को इन संसाधनों की खपत की जांच करनी चाहिए तथा इसके खपत को कम करना चाहिए।

श्री राहुल रंजन
लेखापरीक्षक

भारत की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली

भारत की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में पिछले एक दशक में उल्लेखनीय परिवर्तन आया है। पहले यह प्रणाली संसाधनों की कमी, अवसंरचना की कमजोरी और असमान वितरण जैसी चुनौतियों से जूझ रही थी, लेकिन अब यह धीरे-धीरे सार्वभौमिक, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं की दिशा में अग्रसर हो रही है। सरकार की कई योजनाएँ जैसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, आयुष्मान भारत योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ने इस परिवर्तन को दिशा दी है।

स्वास्थ्य सेवा की वर्तमान संरचना

भारत की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को तीन प्रमुख स्तरों में बाँटा गया है: प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक।

प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा: यह स्वास्थ्य प्रणाली का पहला संपर्क बिंदु है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC), उपकेंद्र और स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र (HWC) ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में कार्यरत हैं। ये केंद्र मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, टीकाकरण, संक्रामक रोगों की रोकथाम, स्वच्छता और पोषण जैसे क्षेत्रों में कार्य करते हैं।

द्वितीयक स्वास्थ्य सेवा: इसमें जिला अस्पताल और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शामिल हैं जो विशेषज्ञों के द्वारा की जाने वाली चिकित्सा सेवाएँ प्रदान करते हैं। इसमें केंद्र सामान्य सर्जरी, बाल चिकित्सा, स्त्री रोग और आपात सेवाओं जैसे क्षेत्र शामिल हैं।

तृतीयक स्वास्थ्य सेवा: इसमें अत्यधिक विशेषज्ञ संस्थान जैसे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS), पीजीआईएमईआर और मेडिकल कॉलेज आते हैं, जहाँ जटिल सर्जरी, कैंसर उपचार, अंग प्रत्यारोपण और उन्नत निदान सेवाएँ प्रदान की जाती हैं।

शासन व्यवस्था और नियामक ढाँचा

भारत में स्वास्थ्य सेवा का प्रबंधन केंद्र और राज्य सरकारों दोनों स्तर पर किया जाता है। स्वास्थ्य एक "राज्य विषय" होने के कारण राज्य सरकारें अपने-अपने क्षेत्रों में स्वास्थ्य नीति और बजट का निर्धारण करती हैं।

कई राष्ट्रीय नियामक निकाय इस प्रणाली को नियंत्रित करते हैं:

केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO): दवाओं, चिकित्सा उपकरणों और प्रसाधनों की गुणवत्ता सुनिश्चित करता है।

राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC): चिकित्सा शिक्षा, लाइसेंस और पेशेवर नैतिकता का नियमन करता है।

फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया (PCI): फार्मेसी शिक्षा और अभ्यास की गुणवत्ता सुनिश्चित करता है।

राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (NABH): अस्पतालों की सेवा गुणवत्ता के मानक तय करता है।

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI): स्वास्थ्य बीमा योजनाओं की निगरानी और सुरक्षा सुनिश्चित करता है।

प्रमुख नीतियाँ और अधिनियम

भारत में स्वास्थ्य सेवा से जुड़ी कई नीतियाँ लागू की गई हैं—

औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम (1940): दवाओं और प्रसाधनों के उत्पादन, बिक्री और वितरण को नियंत्रित करता है।

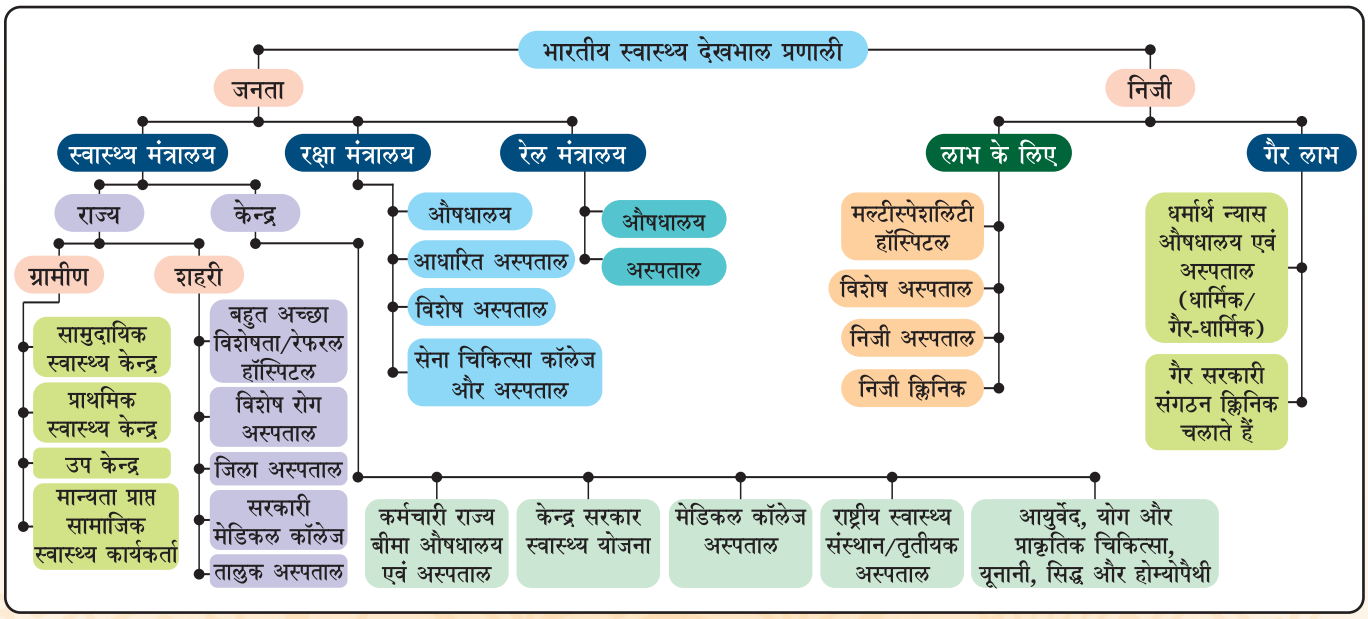

भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम (1956) और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम (2019): चिकित्सा शिक्षा और व्यावसायिक आचरण का नियमन करते हैं।

नैदानिक प्रतिष्ठान अधिनियम (2010): सभी अस्पतालों और क्लीनिकों का पंजीकरण और गुणवत्ता मानक तय करता है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति (2017): इसका उद्देश्य सभी नागरिकों को सस्ती, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध कराना है।

आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (ABDM): इसका लक्ष्य एक एकीकृत डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है जिससे प्रत्येक नागरिक के पास एक डिजिटल स्वास्थ्य पहचान (Health ID) हो।

भारत की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली की प्रमुख चुनौतियाँ

भारत ने स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में काफी प्रगति की है, लेकिन अभी भी कई समस्याएँ हैं जो प्रभावी स्वास्थ्य सेवा में बाधा बनती हैं।

क) *ग्रामीण-शहरी असमानता*: भारत की 68% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, लेकिन 80% से अधिक स्वास्थ्यकर्मी शहरों में कार्यरत हैं। इससे ग्रामीण इलाकों में डॉक्टरों, नर्सों और विशेषज्ञों की कमी है। ग्रामीण क्षेत्रों में अस्पतालों की संख्या भी सीमित है, जिससे मरीजों को इलाज हेतु दूरदराज़ जाना पड़ता है।

ख) *सामर्थ्य की कमी*: आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं के बावजूद, भारत में जेब से होने वाला खर्च लगभग 47% है। गरीब और निम्न-मध्यम वर्गीय परिवारों को चिकित्सा खर्च के कारण गरीबी में धकेला जा रहा है।

ग) *स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता*: सरकारी अस्पतालों में संसाधनों की कमी, भारी भीड़ और मानव संसाधन की कमी के कारण सेवा की गुणवत्ता असमान है। निजी अस्पतालों में सेवाएँ उच्च गुणवत्ता वाली होती हैं, लेकिन अत्यधिक महंगी हैं।

घ) *गैर-संचारी रोगों का बोझ*: मधुमेह, कैंसर, हृदय रोग और उच्च रक्तचाप जैसे गैर-संचारी रोग भारत के लोगों में तेजी से बढ़ रहे हैं। प्रत्येक वर्ष लगभग 5.8 मिलियन भारतीय इन बीमारियों से मरते हैं।

ङ) *सार्वजनिक स्वास्थ्य योजनाओं का सीमित उपयोगः* आयुष्मान भारत और अन्य योजनाओं के बावजूद कई नागरिकों तक इनकी पहुँच नहीं है। तकनीकी समस्याएँ और जागरूकता की कमी इसका बड़ा कारण हैं।

च) *बीमा कवरेज की कमीः* अभी भी बड़ी आबादी बीमा रहित है, विशेष रूप से असंगठित क्षेत्र में कार्यरत लोग। स्वास्थ्य बीमा का कवरेज 2023-24 में GDP का केवल 3.7% रह गया है।

छ) *निजी क्षेत्र का कमजोर नियमनः* निजी अस्पताल अक्सर सेवाओं के अत्यधिक शुल्क वसूलते हैं और पारदर्शिता की कमी रहती है।

सुधार की संभावनाएँ और सुझाव

1. *प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करनाः* प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को आधुनिक उपकरणों, प्रशिक्षित स्वास्थ्यकर्मियों और डिजिटल रिकॉर्ड प्रणाली से लैस करना चाहिए। इससे द्वितीयक और तृतीयक अस्पतालों पर दबाव घटेगा।
2. *स्वास्थ्य कार्यबल का विकासः* भारत को चिकित्सा शिक्षा संस्थानों की संख्या बढ़ानी चाहिए, साथ ही सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों (CHO) को प्रशिक्षित कर ग्रामीण क्षेत्रों में तैनात करना चाहिए। स्वास्थ्यकर्मियों को ग्रामीण सेवा हेतु वित्तीय और कैरियर प्रोत्साहन देना चाहिए।
3. *डिजिटल स्वास्थ्य और टेलीमेडिसिनः* टेलीमेडिसिन सेवाएँ, ई-संजीवनी प्लेटफॉर्म और डिजिटल प्रिस्क्रिप्शन जैसी व्यवस्थाएं दूरस्थ इलाकों में सुलभ चिकित्सा सुनिश्चित कर सकती हैं। इससे चिकित्सकों की कमी और यात्रा लागत दोनों कम होंगी।
4. *सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP):* स्वास्थ्य अवसंरचना के विकास और रखरखाव के लिए सरकार और निजी क्षेत्र का सहयोग आवश्यक है। PPP मॉडल के तहत निजी निवेशकों को कर लाभ देकर ग्रामीण क्षेत्रों में अस्पताल स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है।
5. *स्वास्थ्य बीमा कवरेज का विस्तारः* आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं में बाह्य रोगी (OPD) उपचार और निवारक सेवाओं को भी शामिल किया जाना चाहिए। इससे जेब से खर्च कम होगा और बीमा योजनाएँ अधिक प्रभावी बनेंगी।
6. *निवारक स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करनाः* भारत में जीवनशैली संबंधी रोगों के रोकथाम हेतु राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक जनजागरूकता जैसे अभियान अत्यंत आवश्यक है। स्कूलों और कार्यस्थलों में स्वास्थ्य शिक्षा को अनिवार्य बनाना चाहिए।
7. *वित्तीय निवेश बढ़ानाः* भारत में स्वास्थ्य पर सरकारी व्यय GDP का लगभग 1.3% है, जबकि WHO के अनुसार इसे कम से कम 2.5% होना चाहिए। बजट बढ़ाकर स्वास्थ्य अवसंरचना और अनुसंधान में निवेश आवश्यक है।
8. *निजी क्षेत्र का विनियमनः* निजी अस्पतालों के लिए सेवा मूल्य निर्धारण, गुणवत्ता मानक और पारदर्शिता के नियम बनाए जाएँ। इससे आम नागरिकों को सस्ती और भरोसेमंद चिकित्सा मिल सकेगी।
9. *परंपरागत चिकित्सा का एकीकरणः* आयुर्वेद, होम्योपैथी, सिद्ध और यूनानी चिकित्सा को आधुनिक स्वास्थ्य प्रणाली के साथ समेकित किया जाए। इससे भारत की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित रखते हुए समग्र स्वास्थ्य दृष्टिकोण विकसित होगा।

10. *तकनीकी नवाचार और स्टार्टअप्स को बढ़ावा*: AI आधारित निदान प्रणाली, वियरेबल स्वास्थ्य उपकरण और मोबाइल एप्स जैसी नवप्रवर्तक तकनीकों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। इससे स्वास्थ्य सेवाएँ अधिक कुशल, सस्ती और सर्वसुलभ बनेंगी।
11. *'वन हेल्थ अप्रोच' का विकास*: मानव, पशु और पर्यावरणीय स्वास्थ्य को एक साथ जोड़ने वाली "वन हेल्थ" नीति को अपनाना आवश्यक है। यह महामारी जैसे संकटों से निपटने में कारगर सिद्ध होगी।
12. *स्वास्थ्य शिक्षा और अनुसंधान*: नई बीमारियों, चिकित्सा उपकरणों और औषधियों पर अनुसंधान के लिए सरकारी सहायता और निजी सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए।

निष्कर्ष:

भारत की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली निरंतर परिवर्तनशील अवस्था में है। पिछले कुछ वर्षों में सरकारी पहलों और डिजिटल स्वास्थ्य मिशनों के कारण एक ठोस आधार तैयार हुआ है। हालांकि, अब भी ग्रामीण-शहरी असमानता, वित्तीय सीमाएँ और स्वास्थ्यकर्मियों की कमी जैसी समस्याएँ बनी हुई हैं। भविष्य की दिशा में, भारत को एक समेकित, तकनीकी रूप से उन्नत और मानव-केंद्रित स्वास्थ्य मॉडल अपनाना होगा, जो सभी नागरिकों को न्यायसंगत और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदान करे। यह तभी संभव होगा जब नीति, वित्त और प्रौद्योगिकी का संतुलित उपयोग हो तथा सार्वजनिक-निजी सहयोग के माध्यम से स्वास्थ्य सेवा का लोकतंत्रीकरण सुनिश्चित किया जाए।

श्री सुमन दत्त
लिपिक/टंकक

हिंदी भाषा एक ऐसी सार्वजनिक भाषा है, जिसे बिना भेद-भाव प्रत्येक भारतीय ग्रहण कर सकता है।

भारत से प्रतिभा पलायन – एक चुनौती

भूमिका : संस्कृत में एक कहावत है — "जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी"। परंतु आज के प्रतिभावान शायद इस सत्य से पूर्णतः अनभिज्ञ है तभी तो प्रतिभाएँ अपना देश छोड़कर दूसरे देशों में जा बसने में अपने आपको गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। अपने कुशल और प्रतिभावान संपन्न व्यक्तियों की हानि से विकासशील देश सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं।

परिभाषाः- प्रतिभा संपन्न व्यक्ति ही किसी समाज या राष्ट्र की वास्तविक संपदा होती है। इन्हीं की दशा एवं दिशा पर देश का भविष्य निर्भर करता है। अगर भारत के स्वर्णिम अतीत का सिंहावलोकन करें, तो पाएंगे की प्रतिभाओं की बहुलता के कारण ही भारत समृद्धि, खुशहाली और ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्र में विश्व का अग्रणी देश था। पूर्व काल की तरह आज भी अपने देश में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, किन्तु उनकी स्थिति चिंताजनक बनी हुई है और चिंता का विषय है- 'ब्रेन ड्रेन'। यह कोई बीमारी नहीं है पर बीमारी से कम भी नहीं है। ब्रेन ड्रेन का अर्थ है - प्रतिभा पलायन। यह एक ऐसा रोग है जो देश के विकास को खाए जा रहा है, जिसके अंतर्गत देश के बुद्धिमान और अति कुशल व्यक्ति विदेशों में जाकर बस रहे हैं।

भारत से प्रतिभा पलायन के आंकड़े :- भारत में प्रतिभा पलायन में सबसे तेज वृद्धि देखी जा रही है। निम्न आंकड़े बताते हैं कि भारत से पैसा और प्रतिभा किस प्रकार खत्म हो रहे हैं :

रिपोर्ट के अनुसार,

- 2024 के अनुसार करीब 18 लाख भारतीय विदेशों में रहते हैं और करीब 85 अरब डॉलर खर्च करते हैं।
- 2015 से अब तक लगभग 9 लाख भारतीयों ने भारत की नागरिकता छोड़ दी है।
- 2014 के बाद से 23000 से अधिक करोड़पति भारत छोड़ चुके हैं।
- कनाडा में लगभग 40% विदेशी छात्र भारतीय हैं।
- वर्ष 2022 में लगभग 1.2 लाख भारतीयों को ब्रिटेन में अध्ययन वीजा मिला।

अधिकांश भारतीय प्रतिभाएं अमेरिका जा रही हैं। एक हालिया सरकारी सर्वेक्षण (2023) के अनुसार, संयुक्त राज्य अमेरिका की अर्थव्यवस्था में भारतीयों का योगदान निम्नलिखित हैः

- संयुक्त राज्य अमेरिका में लगभग 12% वैज्ञानिक तथा 38% डॉक्टर भारतीय हैं।
- नासा के लगभग 36% वैज्ञानिक भारतीय हैं।
- माइक्रोसॉफ्ट में लगभग 34% कर्मचारी भारतीय हैं।
- आईबीएम में लगभग 28% कर्मचारी भारतीय हैं।
- इन्टेल में लगभग 17% कर्मचारी भारतीय हैं।
- गूगल में लगभग 12% कर्मचारी भारतीय हैं।

प्रतिभा पलायन के प्रकारः

प्रतिभा पलायन तीन प्रकार का होता है-

(i)भौगोलिक (ii) संगठानत्मक और (iii) औद्योगिक

(i) *भौगोलिक प्रतिभा पलायन* :- बेहतर

वेतन की नौकरियों की तलाश में अत्यधिक प्रतिभाशाली और कुशल व्यक्तियों का दूसरे देश में जाना भौगोलिक प्रतिभा पलायन है। इसका उनके देश की अर्थव्यवस्था और समग्र विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

(ii) *संगठनात्मक प्रतिभा पलायन* :- एक संगठन के उच्च प्रतिभाशाली, कुशल और रचनात्मक कर्मचारियों के बड़े पैमाने पर पलायन करके दूसरों में शामिल होने को संगठनात्मक प्रतिभा पलायन कहा जाता है। इससे संगठन कमजोर पड़ता है और प्रतिस्पर्धा में तेजी आती है।

(iii) *औद्योगिक प्रतिभा पलायन* :- यह अन्य उद्योगों में बेहतर नौकरियों की तलाश में एक उद्योग के कर्मचारियों का पलायन है। यह उन उद्योगों के काम के संतुलन को बिगाड़ता है जहाँ प्रतिभा पलायन होता है।

(iv) *अन्य प्रकार* : -

- उच्च शिक्षा में अवसर की कमी
- उच्च कर की दरें और जटिल नियामक व्यवस्था
- विकसित देशों की तुलना में जीवन स्तर

प्रतिभा पलायन के कारक

(i)भौगोलिक प्रतिभा पलायन के कारक :- यह आमतौर पर निम्नलिखित कारणों से होता है:

किसी देश की अस्थिर राजनीतिक परिस्थितियां

- रहने की सुविधाओं का अभाव
- अच्छे रोजगार के अवसरों की कमी
- अच्छी चिकित्सा सुविधाओं का अभाव

संगठनात्मक प्रतिभा पलायन

- संगठन में अच्छे नेतृत्व और प्रबंधन का अभाव
- विकास की कमी या ना के बराबर गुंजाइश
- बाजार मानकों से कम वेतन
- निष्पक्ष रूप से पदोन्नति देने का अभाव
- काम की प्रशंसा ना होना
- लगातार कई घंटे काम
- काम का अनुचित दबाव
- दूरदराज के स्थान पर पुनर्वास के कारण भी लोगों को कहीं और नौकरी तलाश करनी पड़ती है।

औद्योगिक प्रतिभा पलायन

- कम वेतन पैकेज
- कम वृद्धि की संभावनाएं
- अनुचित कार्य भार
- उद्योगों से जुड़े स्वास्थ्य संबंधी खतरे

प्रतिभा पलायन-चुनौती :- भारत में कुशल और प्रशिक्षित व्यक्ति विदेश पलायन कर जाते हैं जिससे भारत में उच्चस्तरीय प्रतिभाओं की कमी हो जाती है। भारत से डॉक्टर व्यापक रूप से विदेशों में पलायन कर रहे हैं जबकि भारत में डॉक्टरों का अनुपात देश की जनसंख्या की तुलना में काफी कम है। विशेषकर भारत के गाँव डॉक्टरों की कमी से जूझ रहे हैं, जिससे भारत की स्वास्थ्य सेवाओं मे अपेक्षित सुधार नहीं हो पा रहा है। बॉयो-टेक्नोलॉजी और बॉयो-इंजीनयरिंग में प्रशिक्षित अधिकांश पेशेवर अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद विदेश चले जाते हैं जिससे भारतीय प्रयोगशालाओं और शोधकेंद्रो को अच्छी गुणवत्ता के शोधकर्ता नहीं मिल पाते।

प्रभाव

- मानव पूंजी और कुशल पेशेवरों का नुकसान
- नवाचार अनुसंधान और विकास की कमी

- आर्थिक विषमता
- विदेशी मुद्रा की हानि
- कम उत्पादकता और धीमा आर्थिक विकास

प्रतिभा पलायन से पीड़ित देश

जहां दुनिया के कई देश प्रतिभा पलायन के मुद्दों से बड़े पैमाने पर पीड़ित हैं वहीं विकसित देश भी इससे सुरक्षित नहीं हैं। यहाँ प्रतिभा पलायन वाले प्रमुख देश इस प्रकार हैं-

भारत :- भारत की शिक्षा प्रणाली को काफी मजबूत माना जाता है, जो बेहद प्रतिभाशाली और बुद्धिमान युवा पैदा करती है जिनकी मांग दुनिया के कोने-कोने में है। भारतीयों को विदेशों में बेहतर वेतन और उच्च जीवन स्तर सुलभता से प्राप्त हो जाते हैं। फलतः वे बेहतर जीवन स्तर की तलाश में विदेश चले जाते हैं।

ग्रीस :- ग्रीस को हाल ही में प्रतिभा पलायन की समस्या से जूझ रहे देशों की सूची में शामिल किया गया है। 2008 में ऋण संकट से इस मुद्दे में तेजी से वृद्धि हुई है। ग्रीस के अधिकांश लोग हर साल जर्मनी में प्रवास करते हैं।

नाइजीरिया:- यहाँ उच्च बेरोजगारी और गृह युद्ध देश से प्रतिभा पलायन के मुख्य कारणों में से एक है। बड़ी संख्या में नाइजीरियाई युवक बेहतर नौकरी की संभावनाओं तथा बेहतर जीवन स्तर की खोज में हर साल अमेरिका जैसे देशों में पलायन कर रहे हैं।

मलेशिया :- यह देश भी प्रतिभा पलायन की समस्या का सामना कर रहा है क्योंकि इसका पड़ोसी देश सिंगापुर प्रतिभाओं की जांच परख कर बेहतर वेतन और अच्छे रोजगार के अवसर प्रदान कर रहा है। इथियोपिया, केन्या, मैक्सिको और जमैका जैसे अन्य देश भी हैं, जो प्रतिभा पलायन की समस्या से ग्रस्त हैं।

प्रतिभा पलायन से भारत को लाभ

विश्वभर में रह रहे प्रवासी भारतीय समुदाय की तरफ से भारत को लगभग 70 अरब डॉलर रेमिटांस प्राप्त होती है। रेमिटांस प्राप्ति के मामले में भारत विश्व में प्रथम स्थान पर है। यह रेमिटांस भारत के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 35% है। पिछले कुछ दशकों में प्रवासी भारतीय समुदाय ने पूरी दुनिया में सफलता का परचम लहराया है। इससे विश्व भर में भारत की छवि मजबूत हुई है । अनेक प्रवासी भारतीय स्वदेश लौटकर घरेलू स्टार्ट अप तथा शोध एवं विकास से जुड़े कामों में सहायता प्रदान कर रहे हैं।

भारत सरकार के प्रयास

प्रतिभा पलायन जो भौगोलिक और संगठनात्मक स्तर पर हो रहा है उससे निपटना मुश्किल है इससे बचने के लिए कुछ तरीकों को अपनाया जा सकता है।

मेधा एकमात्र फैसले का जरिया बने

एक व्यक्ति को उसकी योग्यता और क्षमता के आधार पर नौकरी मिलनी चाहिए।

उचित प्रचार

कई बॉस अपने कुछ कर्मचारियों को दूसरों के मुकाबले ज्यादा पसंद करते हैं। कई बार ऐसा देखा जाता है कि अगर कोई कर्मचारी कड़ी मेहनत करते हुए नौकरी अच्छे से कर रहा है तो भी उसे पदोन्नति देते वक्त उसकी योग्यता एवं मेहनत को ध्यान में नहीं रखा जाता है, जबकि जो बॉस का पसंदीदा है वह आसानी से पदोन्नत हो जाता है। बेशक वह मापदंडों पर खरा नहीं उतरता हो। इससे कर्मचारियों के बीच असंतोष और निराशा पैदा होती है जिसके कारण वे बेहतर अवसरों की तलाश में विदेशों की ओर रुख करते हैं।

नेतृत्व में सुधार

ऐसा कहा जाता है कि कर्मचारी कंपनी नहीं छोड़ता बल्कि वह अपने बॉस को छोड़ता है। अच्छे बॉस और प्रबंधकों की कमी के कारण कंपनी को कई प्रतिभाशाली कर्मचारियों के जाने का नुकसान उठाना पड़ता है। लोगों को अपने काम के लिए प्रोत्साहित और पुरस्कृत किया जाना चाहिए और यदि ऐसा समय पर नहीं होता है तो वे निराश होकर बाहरी अवसर भी तलाश करते हैं।

वेतन पैकेज

वेतन पैकेज का निर्णय लेने के लिए संगठन को निष्पक्ष होना चाहिए। एक ही स्तर पर काम कर रहे कर्मचारियों के वेतन पैकेज की बात करते समय ज्यादा बदलाव नहीं होना चाहिए। नहीं तो कर्मचारी नौकरी छोड़ कर वहां चले जाएंगे जहां उन्हें योग्य पैकेज मिलेगा।

स्वास्थ्य संबंधी सुधार

प्रत्येक संगठन को चाहिए सर्वप्रथम अपने कर्मचारियों के स्वास्थ्य संबंधी सुरक्षा की व्यवस्था करना। ये उनका प्रथम कर्तव्य होना चाहिए, जिसके अभाव में कई कर्मचारी उद्योग संबंधित बीमारी से पीड़ित होकर या उससे डरकर भी दूसरे उद्योग में पलायन करते हैं।

अन्य प्रयास

प्रवासी भारतीय दिवस :- इसका उपयोग प्रवासी भारतीयों के मध्य विकास का प्रदर्शन करने के लिए मंच के रूप में किया जाता है। ताकि वे भारत में निवेश के लिए प्रोत्साहित हो सकें। युवा प्रवासी दिवस के माध्यम से भारत सरकार युवा पीढ़ी के प्रवासियों को जुड़ने का प्रयास कर रही है। पीआइओ और ओसीआई कार्डों का विलय कर दिया गया ताकि प्रवासी भारतीयों एवं भारतीय मूल के लोगों की भारत आवाजाही में कोई बाधा ना आये। प्रवासी भारतीय केंद्र की स्थापना दिल्ली में की गई है। जिससे भारत में आने वाले प्रवासी भारतीय इस केंद्र में ठहर सके।

वज्र योजना (VAJRA- Visiting Advanced Joint Research Faculty Scheme) - इसके माध्यम से प्रवासी भारतीयों का देश में विज्ञान-प्रौद्योगिकी एवं नवोन्मेष के क्षेत्र में योगदान लिया जाएगा। यह योजना प्रवासी वैज्ञानिकों एवं शोध तथा विकास के पेशेवरों आदि के लिये है।

जानो भारत कार्यक्रम (Know India Programme) -इस अभियान का उद्देश्य 18 से 30 साल के प्रवासी भारतीय युवाओं को भारत की संस्कृति, दर्शन, इतिहास आदि से परिचित कराने के लिए भारत भ्रमण का मौका देना है। ऐसे समय में जब अमेरिका, इंगलैंड सहित अनेक पश्चिमी देशों में वीजा नीतियाँ कठोर की जा रही हैं, भारत सरकार के उपर्युक्त प्रयासों के माध्यम से प्रवासी भारतीयों के मन में भारत के प्रति सकारात्मक विचार उत्पन्न किए जा सकते हैं। इस प्रकार प्रवासी भारतीयों का भारत में निवेश, शोध एवं विकास के क्षेत्र को बढ़ावा देने में सहयोग लिया जा सकता है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 : यह शीर्ष 200 अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों को भारत में शाखाएं स्थापित करने की अनुमति प्रदान करता है।

अनुसंधान पार्क: सरकार ने आईआईटी और आईआईएससी में अनुसंधान पार्क की स्थापना को मंजूरी दे दी है।

GIAN (Global Initiative of Academic Network) (शैक्षणिक नेटवर्क के लिए वैश्विक पहल):- सरकार ने अब भारतीय मूल के विदेशी वैज्ञानिकों को भारत वापस लाने के लिए आर्थिक अवसर पैदा करने पर ध्यान केंद्रित किया है।

निष्कर्षः- राष्ट्र के विकास को गति देने के लिए प्रतिभाओं के पलायन को रोकना अति आवश्यक है। इसके लिए उपयुक्त परिस्थितियां एवं वातावरण बनाना होगा। हमें उन बुद्धिजीवियों का पथ ग्रहण नहीं करना है जिन्होंने विदेशो में जाकर अपनी साख बनाई। पद और सम्मान ग्रहण किए। बेहतर अवसर और शोध कार्य को पूरा करने के लिए विदेशों का रूख लिया। हमें डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकटरमण, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, डॉक्टर अब्दुल कलाम जैसी कई सम्मानित विभूतियों का अनुसरण करना है जिन्होंने इन्हीं साधनों एवं सुविधाओं के बीच उल्लेखनीय उपलब्धियों से राष्ट्र को गौरवान्वित किया है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी —

विकास गर करना है, देश का उच्च स्तर पर,
विकसित इसे बनाना है, गर चिरकाल तक,
प्रतिभा को अपनी हमको, करना होगा देश पर न्यौछावर,
चकाचौंध को देख अन्य की, नहीं करना है प्रतिभा पलायन,
अपने ही इस देश में रहकर, देना है अपनी सेवा अंतिम क्षण तक।

सुश्री रश्मि सिंह
स.लेप.अ.

हिंदी ही ऐसी भाषा है जिसमें हमारे देश की सभी भाषाओं का समन्वय है।

अडिग योद्धा

ये शांति नहीं तूफान है,
कमरा ही मेरा मैदान है ।

स्याही नहीं, अब वो रक्त है,
ये वक्त बड़ा ही सख्त है ।

वक्त अभी थोड़ा तंग है,
जिंदगी से जंग है ।

फिर भी मैं सिपाही डटा हुआ,
जिद पर अपनी अड़ा हुआ ।

नींद की बेड़ियां तोड़ दी,
अब आराम मैंने छोड़ दी ।

जब तक विजय का शोर ना हो,
तब तक कोई भोर ना हो ।

मैं लड़ूंगा आखिरी सांस तक,
जमीन से लेकर आसमान तक ।

गिरता हूँ मैदान में,
पर हार नहीं मानूंगा ।

अपने गलती से सीखकर,
एक दिन जीत को गले लगाऊंगा ।

श्री शेखर प्रियदर्शी
लेखापरीक्षक

घरेलू मैदान पर भारतीय टेस्ट क्रिकेट टीम के हालिया निराशाजनक प्रदर्शन

2024 और 2025 के क्रिकेट सीज़न में भारत ने टेस्ट क्रिकेट में ऐतिहासिक गिरावट दर्ज की। भारतीय क्रिकेट टीम ने दो घरेलू टेस्ट श्रृंखलाएँ न केवल गंवाईं, बल्कि पूरी तरह से व्हाइटवॉश भी हो गई—न्यूज़ीलैंड के खिलाफ 3-0 से और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 2-0 से। यह हार बेहद शर्मनाक रही। खास बात यह है कि भारत को लगातार दो वर्षों में घरेलू टेस्ट सीरीज़ हारने का सामना आखिरी बार लगभग 40 साल पहले करना पड़ा था, जब 1983 में वेस्ट इंडीज ने 6 मैचों की टेस्ट सीरीज़ में भारत को 3-0 से हराया था और 1984-85 के सीज़न में इंग्लैंड ने 5 मैचों की सीरीज़ में 2-1 से पराजित किया था।

1983 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेले गए, जिसे 'प्रतिशोध का सफर' कहा जाता है, उस टेस्ट सीरीज़ में सुनील गावस्कर के अलावा कोई भी भारतीय बल्लेबाज़ मैल्कम मार्शल, माइकल होल्डिंग, जोएल गार्नर, एंडी रॉबर्ट्स और कोलिन क्रॉफ्ट जैसे तेज़ गेंदबाज़ों के सामने खास प्रदर्शन नहीं कर पाए। हालांकि, उस दौर में अधिकांश भारतीय बल्लेबाज़ों का पेस बॉलिंग के खिलाफ रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं था।

1984-85 के सीज़न में इंग्लैंड के खिलाफ भारतीय टीम ने भले ही टेस्ट सीरीज़ गंवाई, लेकिन उसमें एल. शिवरामकृष्णन की शानदार स्पिन गेंदबाज़ी और मोहम्मद अजहरुद्दीन की प्रभावशाली बल्लेबाज़ी जैसे कई सकारात्मक पहलू सामने आए थे।

लेकिन अक्टूबर-नवंबर 2024 में न्यूज़ीलैंड के खिलाफ भारतीय क्रिकेट टीम का प्रदर्शन पूरी तरह निराशाजनक रही। बेंगलुरु में खेले गए पहले टेस्ट की पहली पारी में भारतीय बल्लेबाज़ मात्र 46 रन पर ढेर हो गए। मैट हेनरी और विल ओ'रॉर्के ने मिलकर सिर्फ 31.2 ओवर में पूरी भारतीय टीम को ऑल आउट कर दिया। उसी पिच पर न्यूज़ीलैंड ने अपनी पहली पारी में 402 रन बनाए, जिससे भारत पहली पारी में 356 रन से पिछड़ गया।

हालांकि दूसरी पारी में सरफराज खान, ऋषभ पंत, रोहित शर्मा और विराट कोहली की अच्छी बल्लेबाज़ी के चलते भारत ने 462 रन बनाए, लेकिन जीत के लिए ज़रूरी 107 रन न्यूज़ीलैंड ने मात्र 2 विकेट खोकर बना लिए और सीरीज़ में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली।

बेंगलुरु में यह पहला मैच एक स्पोर्टिंग विकेट पर खेला गया था, जिसमें बल्लेबाज़ों और गेंदबाज़ों दोनों के लिए प्रदर्शन करने के समान अवसर थे।

लेकिन पहला टेस्ट हारने के बाद ही टीम मैनेजमेंट की नकारात्मक सोच सामने आ गई और उन्होंने पुणे में खेले जाने वाले अगले टेस्ट के लिए एक रैंक टर्नर विकेट की व्यवस्था की, जहाँ पहले ही दिन से गेंद टर्न लेने लगी।

यह सिद्धांत तब बहुत प्रभावी होता है जब कोई टीम टॉस जीतकर पहली और तीसरी पारी में बल्लेबाज़ी करे, और विपक्ष को अपेक्षाकृत खराब पिच पर दूसरी और चौथी पारी खेलनी पड़े। लेकिन इस बार टॉस का सिक्का भारत के पक्ष में नहीं गिरा, और पहली पारी में न्यूज़ीलैंड के 259 रनों के जवाब में भारतीय टीम केवल 156 रन ही बना सकी। कोई भी बल्लेबाज़ अर्धशतक तक नहीं पहुंच पाया। ऐसी

पिच पर मिली पहली पारी की 103 रनों की बढ़त निर्णायक साबित हुई, और दूसरी पारी में दोनों टीमों द्वारा लगभग समान रन बनाने के बावजूद भारत यह मैच भी 113 रनों से हार गया, जिससे श्रृंखला हाथ से निकल गई।

तीसरा और अंतिम टेस्ट मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया, जहाँ पहली पारी में न्यूज़ीलैंड के 235 रनों के जवाब में भारत ने 263 रन बनाए। यह पिच भी पुणे जैसी रैंक टर्नर थी, और दूसरी पारी में 174 रन बनाकर न्यूज़ीलैंड ने भारत के सामने जीत के लिए सिर्फ 146 रनों का लक्ष्य रखा। लेकिन ग्लेन फिलिप्स की स्पिन गेंदबाज़ी और नियमित रूप से प्लेइंग इलेवन में स्थान न पाने वाले स्पिनर एजाज़ पटेल के सामने भारत मात्र 121 रन पर सिमट गया। ऋषभ पंत की 64 रनों की पारी को छोड़ दें, तो बाकी सभी दिग्गज बल्लेबाज़ों का स्कोरकार्ड मोबाइल नंबर जैसा दिख रहा था।

सभी को उम्मीद थी कि घरेलू मैदान पर टेस्ट क्रिकेट में शर्मनाक प्रदर्शन का यह अध्याय यहीं समाप्त हो जाएगा और टीम व टीम मैनेजमेंट आत्ममंथन कर सुधार करेगी। लेकिन कमजोर वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट श्रृंखला जीतकर उन्होंने अपनी असली समस्याओं को पूरी तरह नज़रअंदाज़ कर दिया, जिसका खामियाजा दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट श्रृंखला में भुगतना पड़ा।

दक्षिण अफ्रीका हाल ही में पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट श्रृंखला ड्रॉ करके आई थी, जहाँ ऑफ-स्पिनर साइमन हार्मर ने शानदार प्रदर्शन किया था और ऑलराउंडर सेनुरण मुथुस्वामी 'मैन ऑफ द सीरीज़' बने थे।

क्रिकेट के मूल सिद्धांतों को नज़रअंदाज़ करते हुए भारतीय टीम ने बेहतरीन फॉर्म में चल रहे ऑफ-स्पिनर के खिलाफ अपनी प्लेइंग इलेवन में पाँच बाएँ हाथ के शीर्ष क्रम के बल्लेबाज़ों को शामिल किया। कप्तान शुभमन गिल की चोट भी टीम के लिए एक बड़ा झटका साबित हुई।

कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेले गए पहले टेस्ट मैच में भारत ने एक बार फिर पिच के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश में एक खतरनाक विकेट तैयार कर दिया। पहली पारी में दक्षिण अफ्रीका के 159 रनों के जवाब में भारत भी 189 रन पर ऑल आउट हो गया। दूसरी पारी में कप्तान तेम्बा बावुमा के जुझारू अर्धशतक की बदौलत दक्षिण अफ्रीका ने 153 रन बनाए और भारत को जीत के लिए सिर्फ 124 रनों का लक्ष्य दिया।

लेकिन पूरी भारतीय टीम मात्र 93 रन पर ढेर हो गई। पूरे मैच में भारत की ओर से कोई भी अर्धशतक नहीं लगा। स्पिन गेंदबाज़ी के खिलाफ भारतीय बल्लेबाज़ों की तकनीकी कमजोरी और अनुभव की कमी पूरी तरह उजागर हो गई। और सोचिए — मैन ऑफ द मैच कौन बना? साइमन हार्मर।

गुवाहाटी के बरसापारा स्टेडियम में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में पहली बार सूरज के जल्दी उगने और जल्दी डूबने के कारण कार्यक्रम में बदलाव किया गया, जहाँ खिलाड़ियों ने पहले चाय ब्रेक लिया और लंच ब्रेक बाद में हुआ। लेकिन भारतीय टीम के प्रदर्शन में कोई सुधार नज़र नहीं आया।

मार्को यानसेन की 93 रनों की पारी और सेनुरण मुथुस्वामी के 109 रनों की बदौलत दक्षिण अफ्रीका ने 489 रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया, और यहीं से भारत के लिए मुश्किलों का सिलसिला शुरू हो गया। इस मैच में भी भारतीय टीम ने पाँच बाएँ हाथ के शीर्ष क्रम के बल्लेबाज़ों को मैदान में उतारा। पहली पारी में मात्र 201 रन पर सिमट जाने के बाद ही भारत की हार लगभग तय हो गई थी।

स्पिन के साथ-साथ मार्को यानसेन की पेस गेंदबाज़ी के सामने भी भारतीय बल्लेबाज़ पूरी तरह असहाय दिखे। दूसरी पारी में 5 विकेट पर 260 रन बनाकर दक्षिण अफ्रीका ने पारी घोषित कर दी, और भारत की पूरी टीम केवल 140 रन बनाकर एक और शर्मनाक आत्मसमर्पण के साथ ढेर हो गई।

टेस्ट क्रिकेट में अपने घरेलू मैदान को एक दुर्ग बना चुके भारतीय क्रिकेट टीम की इस दुर्दशा के पीछे कई गंभीर कारण रहे हैं। निम्नलिखित बिंदुओं पर आलोचनात्मक विश्लेषण आवश्यक है:

1. भारत की बल्लेबाज़ी लाइन-अप, जो कभी घरेलू परिस्थितियों में अजेय मानी जाती थी, दोनों श्रृंखलाओं में लगातार विफल रही। यह संकेत देता है कि टीम में कौशल और अनुभव दोनों की कमी है। चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे जैसे स्पिन के खिलाफ अनुभवी बल्लेबाज़ों को पूरी तरह नज़रअंदाज़ करना शायद एक बड़ी रणनीतिक भूल थी। इसके अतिरिक्त, भूमिका विवादों के बाद रविचंद्रन अश्विन, विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे वरिष्ठ खिलाड़ी टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं, जिससे अनुभव का बड़ा शून्य पैदा हुआ जिसे युवा खिलाड़ी तुरंत भरने में असफल रहे।
2. न्यूज़ीलैंड और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारत के बल्लेबाज़ों का औसत स्पिन के खिलाफ मात्र 23.43 और तेज़ गेंदबाज़ों के खिलाफ केवल 13.25 रहा, जो यह दर्शाता है कि टीम उच्च-गुणवत्ता वाली गेंदबाज़ी के सामने पूरी तरह विफल रही।
3. 2024 की श्रृंखला में रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों का औसत 16 से कम रहा, जो 24 वर्षों में पहली बार घरेलू व्हाइटवॉश का एक प्रमुख कारण बना।
4. टीम मैनेजमेंट ने कई बार विशेषज्ञ खिलाड़ियों के बजाय ऑलराउंडरों को प्राथमिकता दी, जिससे कुछ मैचों में केवल तीन विशेषज्ञ बल्लेबाज़ों के साथ असंतुलित प्लेइंग इलेवन उतरी। सीमित ओवरों के प्रारूप में अधिक खेलने वाले खिलाड़ियों में लाल गेंद की टेस्ट क्रिकेट के लिए आवश्यक धैर्य और तकनीकी मजबूती की कमी स्पष्ट दिखी।
5. टीम की रणनीति और मैच योजना भाग्य पर अधिक निर्भर होती दिखाई दी। टॉस हारने की स्थिति में कोई ठोस वैकल्पिक रणनीति नज़र नहीं आई, और विपक्ष की साझेदारी तोड़ने के लिए भी कोई प्रभावी प्लान बी नहीं दिखा। फॉर्म में चल रहे ऑफ-स्पिनरों के खिलाफ अत्यधिक बाएँ हाथ के बल्लेबाज़ खिलाना भी एक बड़ी रणनीतिक चूक रही।
6. टेस्ट खिलाड़ियों का रणजी ट्रॉफी जैसे घरेलू क्रिकेट में नियमित भाग न लेना भी उनकी तकनीकी कमजोरी का कारण बना। साथ ही, घरेलू क्रिकेट में निरंतर शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों-जैसे सरफराज खान और करुण नायर-को पर्याप्त अवसर न देना भी टीम के लिए नुकसानदेह रहा।
7. कप्तान शुभमन गिल की चोट भारत के लिए एक बड़ा झटका साबित हुई, और उनकी अनुपस्थिति बल्लेबाज़ी व कप्तानी दोनों में गहराई से महसूस की गई।
8. दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 2025 की श्रृंखला एक दुर्लभ उदाहरण रही, जहाँ किसी भी भारतीय खिलाड़ी ने व्यक्तिगत शतक नहीं बनाया।
9. मुख्य कोच गौतम गंभीर द्वारा किए गए कई बदलावों की व्यापक आलोचना हुई, और यह संभव है कि बाहरी दबाव और आलोचना का टीम के प्रदर्शन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा हो।

10. कौशल और अनुभव पर भरोसा करने के बजाय पिच से अधिक छेड़छाड़ करना टीम के लिए उल्टा पड़ गया और रणनीति बूमरैंग की तरह लौट आई।

11. भारत को लगातार टॉस में दुर्भाग्य का सामना करना पड़ा, और न्यूज़ीलैंड तथा दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सभी टेस्ट मैचों में चौथी पारी में बेहद कठिन पिचों पर बल्लेबाज़ी करनी पड़ी, जहाँ 150 रन का लक्ष्य भी लगभग असंभव लग रहा था।

12. अब विदेशी टीमें भारतीय परिस्थितियों के लिए बेहतर रूप से तैयार होकर आ रही हैं। न्यूज़ीलैंड और दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ियों ने अपने आईपीएल अनुभव का लाभ उठाकर टर्निंग ट्रैक्स को बेहतर तरीके से संभाला, जबकि उनके स्पिनर-मिचेल सैंटनर, एजाज़ पटेल, साइमन हार्मर और केशव महाराज-ने भारतीय विशेषज्ञों से भी अधिक प्रभावशाली प्रदर्शन किया। साथ ही, विदेशी टीमों ने संतुलित फील्ड प्लेसमेंट अपनाई, जिससे बाउंड्री पर निर्भर भारतीय बल्लेबाज़ दबाव में आकर विकेट गंवाते रहे।

श्री कौशिक चक्रवर्ती
वरिष्ठ लेखापरीक्षक

वास्तव में भारतवर्ष में अंतर-प्रांतीय व्यवहार के लिए उपयुक्त राष्ट्रीय भाषा हिंदी ही है।

अनुभव

अपने दिल को खोल के देखो,
दुनिया में सब कुछ नहीं है झूठी।
सच्चे मन से माँगोगे तो,
तुम्हारे खातिर कायनात लुटी।
ख़त्म कर दो बैर यह सारे,
फैलाओ बाँहें, पकड़ो आसमान।
साफ़ कर लो मन के बादल,
मुट्ठी तले खुशी का कारवाँ।
मोह के बादल से मन होता भारी,
ढक जाती है उससे सच्चाई सारी।
आँखें होते हुए भी अंधा क्यों बनना,
झूठ से बेहतर सच का सामना करना।
खो जाए सब, पर उम्मीद न खोना,
उम्मीद नहीं तो ज़िंदगी क्या जीना।
साथ हो दोस्त या दुश्मन भी हो,
मंज़िल से ऊपर सफ़र को चुनना।
निचोड़ लो अपनी अनुभव सारी,
कह दो जो करे मन को भारी।
झूठ-मूठ के लड़ाई-झगड़े,
ज़िंदगी इनसे बहुत है बड़ी।

श्री कौशिक चक्रवर्ती
वरिष्ठ लेखापरीक्षक

मिट्टी के बर्तन वाले बाबा

धरमपुर गाँव अपनी सरलता के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ सुबह सूरज की रोशनी खेतों पर सुनहरे तीरों की तरह गिरती थी और हवा मिट्टी की महक लेकर घर-घर तक पहुंचती थी। गाँव के ठीक बीचों- बीच एक पुरानी कच्ची झोंपड़ी थी—उसी में रहते थे बाबा हरिया। उनका असली नाम हरिलाल था, लेकिन पूरे गाँव में उन्हें "हरिया बाबा" कहा जाता था। उनकी झोंपड़ी साधारण थी— टूटी खपरैल, पुरानी चारपाई, एक छोटा चाक और मिट्टी से भरे टोकरे। यह वही चाक था जिसने बाबा की पूरी जिंदगी की मेहनत देखी थी। बाबा की पत्नी- लाजवंती, बहुत साल पहले ही गुजर चुकी थी। उनकी दुनिया अब सिर्फ मिट्टी और भगवान के नाम पर व्यतीत हो रही थी। रात को जब हवा तेज़ चलती थी, झोंपड़ी हिलती थी— और इसी के साथ बाबा का अकेलापन भी। एक दिन बाबा रोज़ की तरह जंगल में लकड़ी लेने गए। सुबह की धुंध घनी थी। पेड़ों की पत्तियों पर ओस की बूंदें मोतियों की तरह चमक रही थीं। अचानक बाबा को हल्की-सी सिसकियों की आवाज़ सुनाई दी। पहले तो उन्हें लगा—शायद कोई जानवर होगा, पर पास जाकर देखा तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। एक खूबसूरत नवजात बच्ची, बिलकुल अकेली, फटे कपड़ों में लिपटी, ज़मीन पर पड़ी रो रही थी। उसकी उंगलियाँ ठंड से नीली हो रही थीं। बाबा ने तुरंत उसे उठा लिया। बच्ची उनके सीने से चिपक गई, जैसे कई सालों से उन्हें जानती हो। उस पल बाबा को ऐसा प्रतीत हुआ जैसे भगवान ने उनके सूने आँगन में एक दीपक जला दिया हो। वे बोले—"ओ लाडो... अब तू अकेली नहीं। अब तू मेरे साथ है। मुझे आज फिर से जीने का कारण मिल गया।" गाँव पहुँचते ही लोग जमा हो गए। "अरे बाबा! ये कहाँ से लाई इतनी छोटी बच्ची?" "ये तो बोझ है, क्यों उठा लाए?" "इतनी उम्र में ये कैसे संभालोगे?" बाबा शांत रहे। उन्होंने बच्ची को सीने से लगाकर बस इतना कहा—"जिसे भगवान मेरे पास भेज दे, उसे मैं कैसे ठुकरा दूँ?" कुछ लोग सहानुभूति से देखते, कुछ दया से, कुछ ताने मारते। लेकिन बाबा का मन स्थिर था। उसे उस बच्ची के चेहरे में उम्मीद दिख रही थी। बच्ची का नाम रखा गया — अनन्या, क्योंकि वह उनके जीवन में "अद्वितीय" थी। बाबा ने अपनी दिनचर्या बदल दी। अब उनका हर काम अनन्या के आसपास घूमता । सुबह उसे नहलाना, उसके लिए दलिया बनाना, दिन में चाक चलाकर मिट्टी के बर्तन बनाना, बर्तन बेचकर रोटी, दूध और कपड़े जुटाना तथा शाम को उसे गोद में लेकर कहानियाँ सुनाना। उनके पास बहुत कुछ नहीं था, लेकिन जो था, वह पूरे दिल से था। एक बार गाँव की मुख्य सड़क पर मेले का आयोजन हुआ। सब बच्चों ने खिलौने खरीदे, लेकिन बाबा के पास पैसे नहीं थे। फलस्वरूप खिलौने न खरीद पाने के कारण अनन्या उदास हो गई। बाबा ने शाम को मिट्टी उठाई और चाक पर एक छोटा-सा गुड्डा और छोटी गुड़िया बनाई। अनन्या खुशी से झूम उठी।

वह बोली—"ये धागे वाले खिलौनों से ज्यादा सुंदर है!" बाबा की आँखें नम हो गईं।

उन्होंने सोचा—"इस बच्ची ने तो मेरे जीवन में खुशी का पिटारा खोल दिया।" अनन्या बड़ी होने लगी।

वह होशियार थी, पढ़ाई में तेज़ और व्यवहार में दयालु। बाबा रोज़ उसे नदी पार करवाकर स्कूल छोड़ते। कभी बारिश में भीगते, कभी गर्मी में पसीना टपकता, लेकिन बाबा के कदम कभी पीछे नहीं हटते। स्कूल में अनन्या हमेशा टॉप करती। शिक्षकों को अनन्या पर गर्व था, लेकिन अनन्या का सबसे बड़ा गर्व उसके बाबा थे। घर लौटकर अनन्या बाबा के साथ काम भी करती जैसे - मिट्टी गूंथना, छोटा चाक घुमाना, और कभी-कभी बर्तन सुखाना। उसके लिए यह काम

नहीं, खेल था। कई बार वह कहती— "बाबा, मैं पढ़- लिखकर आपको बहुत बड़ा घर दूँगी।" बाबा मुस्कुराते—"मुझे घर नहीं चाहिए, बस तेरी खुशी चाहिए।" एक दिन पड़ोस की औरतें बातें कर रही थीं— "अरे, ये तो किसी की छोड़ी हुई बच्ची है। बाबा ने तो सड़क से उठाया था।" इस बात को सुनकर अनन्या के कान खड़े हो गए। उसका चेहरा उतर गया। वह रोती हुई घर दौड़ी और बोली—"बाबा... क्या मैं आपकी अपनी नहीं हूँ?" बाबा ने उसका चेहरा पढ़ा । उनकी आँखें भर आईं, लेकिन आवाज़ मजबूत थी— "बेटी, पेट से पैदा होना एक बात है, पर दिल से जन्म लेना सबसे बड़ा जन्म है। तू मेरी है... मेरे भगवान का भेजा हुआ वरदान।" अनन्या फूट-फूटकर रोते हुए बाबा से लिपट गई।

उस दिन उनके दिलों का रिश्ता और गहरा हो गया। अनन्या अब 12वीं कक्षा में थी। बाबा उसकी पढ़ाई के लिए अपनी जरूरतें भूल चुके थे, कभी भूखे सो जाते, कभी बर्तन सस्ते में बेच देते, यहाँ तक की उन्होंने अपना पुराना कोट भी बेच दिया लेकिन अनन्या की पढ़ाई-लिखाई में कमी नहीं होने दी। जब रिज़ल्ट आया—अनन्या पूरे जिले में प्रथम आई। स्कूल में इस अवसर पर समारोह रखा गया, जिसमें अनन्या के बाबा को मंच पर बुलाया गया। तालियों की आवाज़ से पूरा हाल गूंज उठा।

अनन्या ने बाबा के पैर छुए। बाबा की आँखें भर आईं—"मेरी गरीबी पर नहीं, मेरी बेटी की सफलता पर दुनिया तालियाँ बजा रही है।"अनन्या ने शहर में स्कॉलरशिप पाई। वह पढ़ाई के लिए गई, बाबा ने भारी मन से उसे विदा किया। उसका हर पत्र बाबा की धड़कन था—"बाबा, मैं ठीक हूँ।"

"बाबा, मैंने परीक्षा में टॉप किया।" कुछ साल बाद अनन्या को अच्छी नौकरी मिल गई। पहली तनख्वाह से वह गाँव आई—बाबा के लिए गर्म शॉल, नई चप्पलें और एक सुंदर रेडियो लेकर। वह बोली—"अब आप मेरे साथ शहर चलेंगे।" बाबा पहले हिचके, लेकिन अनन्या के कहने पर मान गए। शहर में अनन्या ने उनके लिए एक साफ-सुथरा कमरा तैयार किया। दीवार पर लाजवंती माँ की पुरानी तस्वीर भी लगा दी। बाबा की आँखें भर आईं। कई महीने बाद कॉलेज में एक कार्यक्रम हुआ—"पालन-पोषण और वास्तविक पिता कौन?" अनन्या मुख्य वक्ता थी।

बाबा भी सामने बैठे थे। अनन्या मंच पर गई और बोली—"लोग कहते हैं कि पिता वह होता है जो बच्ची को जन्म देता है। पर मैं कहती हूँ—पिता वह है जो उसे पालता है, सुरक्षित रखता है, स्वयं भूखे रहकर भी उसे खिलाता है, थक जाने पर भी उसके सपने पूरा करता है।" उसने बाबा की ओर देखा—"ये मेरे पिता हैं। इन्होंने मुझे जन्म नहीं दिया, लेकिन इन्होंने मुझे जीवन दिया। अगर पिता शब्द किसी पर सच्चा बैठता है, तो वह यही हैं।" पूरा सभागार खड़े होकर तालियाँ बजाने लगा। बाबा की आँखों से आँसू बह रहे थे, लेकिन चेहरा... गर्व से दमक रहा था। समय बदल गया, शहर बदल गया, अनन्या का जीवन बदल गया—लेकिन एक चीज नहीं बदली—बाबा का प्यार। और यही साबित करता है—जन्म देना सौभाग्य है, लेकिन पालन-पोषण...महानता है क्योंकि...जन्म संयोग है, लेकिन पालन—त्याग, प्रेम और विश्वास का अद्भुत संगम है।

सुश्री सुमन कुमारी
कनिष्ठ अनुवादक

जीवन का मूल्य

तारीख 12 मार्च, 1971 ऋषिकेश मुखर्जी द्वारा निर्देशित फिल्म, आनंद, बड़े पर्दे पर रिलीज हुई। रिलीज होते ही इस फिल्म ने सफलता के परचम लहरा दिए। पूरी फिल्म की कथावस्तु एक डॉक्टर जो जीवन की क्रूरता से थककर बेहद परेशान है तथा एक ऐसा रोगी जो असाध्य रोग से पीड़ित है, के इर्द-गिर्द घूमती है। प्रस्तुत फिल्म के माध्यम से यह दिखाने का प्रयास किया गया है कि यह जो जीवन हमें मिला है, इसका महत्व क्या है, और हमें अपना जीवन कैसे जीना चाहिए? इस फिल्म के कई प्रतिष्ठित संवाद, जैसे- "बाबूमोशाय, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं", और "जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ है जहांपनाह, उसे ना आप बदल सकते हैं और ना मैं। हम सब तो रंगमच की कठपुतलियां हैं, जिनकी डोर ऊपर वाले की उंगलियों में बंधी हैं। कब, कौन कैसे उठेगा, कोई नहीं बता सकता" काफी लोकप्रिय रहे। ऐसे संवादों से भरी यह फिल्म दर्शकों के मनः स्थिति पर एक अमिट छाप छोड़ती है। आज, मेरी यह रचना इसी का प्रसंग लेते हुए जीवन के मूल्यों को समझने के प्रयास पर आधारित है।

जीवन की परिभाषा आखिर क्या है, इस पर विद्वानों के अलग-अलग तर्क हैं। जीवन की दो परिभाषाएं सामान्यतः बतायी गई हैं, दार्शनिक परिभाषा तथा जैविक परिभाषा। जीवन की दार्शनिक परिभाषा अपने जैविक परिभाषा से भिन्न है। जीव विज्ञान जीवन के भौतिक पहलुओं को ही मानता है, जबकि दर्शन उन गुणों को मानता है जो जीवन को दूसरों के लिए योग्य बनाता है। हम अपने चारों ओर विभिन्न प्रकार के जीवन से घिरे हुए हैं। पौधों, जानवरों, कीड़ों, पक्षियों, उभयचरों आदि सहित अन्य अरबों प्रजातियां इस ग्रह पर मौजूद है, प्रत्येक का जीवन, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो, सभी का एक महत्वपूर्ण स्थान है, इनका अपना एक मूल्य है और ये इस पारिस्थितिकी तंत्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेकिन कुछ विशेष नैतिक मूल्यों और गुणों के कारण मानव जीवन को अन्य प्राणियों की तुलना में अधिक मूल्यवान माना जाता है।

वर्तमान में मानव जीवन के दो हिस्से हैं- (1) पेशेवर जीवन और (2) व्यक्तिगत जीवन। एक आम व्यक्ति आज इन दोनों जीवनों की परिपाटी के बीच ही सिमटा रहता है। पेशेवर जीवन से तात्पर्य हमारे कार्यस्थल के जीवन से है और व्यक्तिगत जीवन से तात्पर्य परिवार, दोस्तों से संबंध, व्यक्तिगत रूचियों, शौक इत्यादि के संयोजन से है। आज कई लेखों, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर "वर्क-लाइफ बैलेंस" जैसे विषयों पर लोगों के विचार देखने, सुनने को मिलते हैं। मेरे हिसाब से सबसे पहली बात तो ये है कि, "वर्क-लाइफ बैलेंस" जैसा कुछ नहीं होता। जब आप "वर्क-लाइफ बैलेंस" की बातें सुनते हैं, तो आप संभवतः कार्यस्थल पर एक बेहद उत्पादक दिन बिताने और दिन का दूसरा आधा हिस्सा परिवार के साथ बिताने की कल्पना करते हैं। हालांकि यह आदर्श लग सकता है, लेकिन यह हमेशा संभव नहीं होता । कभी ट्रैफिक की भीड़ में फँसना, कभी अपने बॉस की डांट-फटकार से मन हताश होना, कभी ऐसा भी कि आपने अपने कार्य में शत-प्रतिशत योगदान दिया हो, पर वह सुनियोजित ढंग से न हो पाये, तो ऐसे में मन में निराशा छाना, हम सब ऐसी परिस्थितियों से गुजरते ही हैं। तदनुसार कभी-कभी ऐसी स्थिति भी उत्पन्न होती है कि काम से घर लौटने के बाद कुछ भी करने की इच्छा नहीं होती। इसलिए सटीक वर्क-लाइफ बैलेंस जैसा कुछ भी नहीं है।

अगर प्रयास करना ही है तो, यथार्थवादी आधार के लिए प्रयास करना होगा। इसके लिए कुछ विशिष्ट तरीकें अपनाने होंगे जिससे हम स्वयं की प्राथमिकताओं पर विशेष ध्यान दे सकें।

1. अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें

"स्वास्थ्य ही श्रेष्ठ धन है", दुनिया में बाकी सभी धन खोने के बाद पुनः अर्जित की जा सकती है। अगर हम एक बार अपनी स्वास्थ्य रूपी धन खो देंगे तो फिर उसे पुनः प्राप्त नहीं कर सकेंगे। अपनी प्राथमिकताओं में स्वास्थ्य का स्थान सर्वोपरि होना चाहिए। अगर आप स्वयं ही स्वस्थ नहीं होंगे तो अपने जीवन की बाधाओं का सामना कैसे कर पाएंगे? संतुलित खान-पान बनाये रखने के अतिरिक्त अगर आप किसी चिंता या अवसाद से जूझ रहे हैं तो अविलंब इलाज करवाएं। किसी भी प्रकार के डर को स्वयं पर हावी न होने दें, फिल्म 'आनंद' में एक संवाद भी है, "जब तक जिंदा हूं तब तक मरा नहीं, जब मर गया साला मैं ही नहीं... तो डर किस बात का?" जीवन में स्वास्थ्य ही आपका असली धन है। इसे व्यर्थ न होने दें।

2. योग एवं संगीत को अपने जीवन में स्थान दें

जीवन में आप योग के साथ-साथ संगीत को भी स्थान देने का प्रयास करें। कोई भी वाद्ययंत्र जो आपको पसंद हो, उसे सीखने का प्रयास करें। यह कतई न सोचें कि आप उसमें सफल होंगे या नहीं, आप बेसुरे हैं या किस हद तक सफलता मिलेगी। यदि आप सरगम के सात सुरों के साथ सुबह ध्यान में बैठेंगे तो आपको एहसास होगा कि आप बेहतर महसूस कर रहे हैं। योग तो आज के भाग-दौड़ वाले जीवन में अनिवार्य है ही। प्राणायाम, कपालभारती जैसे योगासनों से मानसिक शांति मिलती है। विशेष रूप से चिंता तथा अकेलेपन से ग्रसित व्यक्तियों को इन दोनों को ही अपने जीवन में जरूर स्थान देना चाहिए।

3. समय-समय पर छुट्टी लें

आज के समय में काम की व्यस्तता में अत्यधिक संलिप्त होने की आशंका को दूर करने के लिए बीच-बीच में छुट्टी भी लेना आवश्यक है। कभी-कभी मन में ऐसी इच्छा होती है, क्यों न सब कुछ छोड़कर कहीं दूर निकल लिया जाए। अक्सर ऐसा उबाऊपन के कारण होता है। समय-समय पर बाहरी दुनिया से नाता तोड़ लेने से हमें दैनिक तनाव से उबरने का मौका मिलता है और हमें अन्य अध्ययनों और विचारों के लिए जगह मिलती है। चाहे आपकी छुट्टी एक दिन की छुट्टी हो या कुछ दिनों की, किसी प्रसिद्ध जगह पर यात्रा, शारीरिक और मानसिक रूप से तरोताज़ा होने के लिए समय निकालना ज़रूरी है।

4. अपने और अपने प्रियजनों के साथ समय बिताएं

यद्यपि आपकी नौकरी महत्वपूर्ण है, परन्तु यह आपका पूरा जीवन नहीं होना चाहिए। इस नौकरी को पाने से पहले भी आपका एक जीवन जरूर रहा था। और उसी जीवन से आगे बढ़कर आज आप अपने पेशेवर जीवन में आए हैं। आपके प्रियजन पहले भी आपके साथ रहे थे और वे अभी भी आपके साथ हैं और आगे भी रहेंगे। सिर्फ इसलिए कि काम आपको व्यस्त रखता है इसका मतलब यह नहीं है कि आपको विशेष संबंधों की उपेक्षा करनी चाहिए। जिस व्यक्ति के साथ आप रहते हैं, उन्हें महत्व दें और उनके साथ समय बिताएं। आप देख पाएंगे कि अपने व्यक्तिगत जीवन में आप अच्छा महसूस कर रहे हैं। आप खुद को केवल अपने तक ही सीमित न रखें, बल्कि दूसरों तक भी पहुंचे या दूसरों के संम्पर्क में भी रहे। उनसे जुड़कर आप उनकी समस्याओं, आकांक्षाओं इत्यादि के बारे में जानें। अपने पड़ोसियों से बात करें, स्वयं के साथ-साथ दूसरों को भी सामाजिक बनाएं। जितना अधिक आप समाजीकरण करेगें आपके

मूल्यों में उतनी ही वृद्धि होती रहेगी।

5. लक्ष्य और प्राथमिकताएँ निर्धारित करें और उन पर टिके रहें

जब तक आप काम कर रहे हैं, तब तक करियर और निजी जीवन की मांगों को संतुलित करना संभवतः एक सतत चुनौती होगी। अतः समय-प्रबंधन रणनीतियों को लागू करके, अपनी कार्य सूची का विश्लेषण, तथा ऐसे कार्यों को समाप्त करके, जिनका कोई महत्व नहीं है, आप पेशेवर जीवन तथा निजी जीवन के बीच संतुलन बना सकते हैं। आप इसके लिए नोटपैड अथवा डायरी अपने संग रख सकते हैं। इससे एक और बात अच्छी होगी कि आप लिखने का भी अभ्यास कर सकेंगे। लिखना भी एक तरह का अभ्यास है। कंप्यूटर के की-बोर्ड पर अंगुलियां फिरते-फिरते ऐसी हो जाती हैं कि दो पंक्ति लिखने को कहा जाय तो मन नहीं करता। यह एक तरह से हमें पंगु ही बनाने का काम कर रही है। अतः डायरी, नोटपैड में आप अपने कार्यों या रोज के अनुभव को लिखने से वस्तुस्थिति को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं और समाधान खोजने की संभावना भी अधिक रहती है। हर बार अपने ईमेल और मोबाइल फोन को चेक करने की आदतों से बचें, क्योंकि ये समय की बर्बादी करने वाले प्रमुख कार्य हैं जो आपका ध्यान और उत्पादकता को प्रभावित करते हैं। अपने दिन को व्यवस्थित करने से काम पर उत्पादकता बढ़ती है और आप बाकी दूसरी प्राथमिकताओं को भी स्थान दे सकते हैं।

राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने भी क्या खूब लिखा है, "जीवन का मूल्य समझता हूँ, धन को मैं धूल समझता हूँ।" जीवन हमें एक ही बार मिला है। इसे भरपूर सादगी से जीना चाहिए। कब, क्या हो, ये हमारे और आपके सोच से परे हैं। क्या एयर इंडिया के विमान में लंदन जा रहे यात्रियों ने सोचा होगा कि अगले कुछ ही पलों में वे जिस आने वाले कल की कल्पना कर रहे थे, वह कल ही उनके लिए नहीं रहेगा। आनंद फिल्म की बात सही ही तो थी कि हम सब तो रंगमंच की कठपुतलियाँ हैं.... कब, कौन, कैसे....। अतः जीवन में जो भी आपके साथी हैं, फिर चाहे वह कार्यस्थल से जुड़े हों या परिवार में, उनके साथ अच्छे संबंध बनाये रखें और जीवन की सार्थकता चरितार्थ करने का सतत प्रयास करें। जीवन को समझने की कोशिश की जाए तो जीवन की परिभाषा बहुत ही विशाल है, और यह कई मामलों में एक दूसरे से बहुत ही अलग हो सकती है, लेकिन जीवन का सारांश यह है कि — "जीवन का अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि यह कितनी लंबी है, लेकिन यह कितना मूल्यवान है ये हम ही तय करते हैं।" अंत में मैं किशोर कुमार द्वारा गाये गये इस मसहूर गीत से अपने लेख को विराम देना चाहूंगाः-

"जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर
कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं
है ये कैसी डगर, चलते हैं सब मगर
कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं।"

श्री अमित कुमार साह
कनिष्ठ अनुवादक

हरिद्वार –
हिंदू आस्था और धर्म का जीवंत प्रतीक

भारत के उत्तराखंड राज्य में अवस्थित *देवभूमि* के नाम से प्रसिद्ध धार्मिक और ऐतिहासिक तीर्थस्थल है — 'हरिद्वार'। हरिद्वार केवल एक शहर नहीं, अपितु हिंदू आस्था और धर्म का जीवंत प्रतीक है, जहाँ प्रत्येक कदम पर पौराणिक-ऐतिहासिक कथाएँ, हिंदू धर्म के विविध पहलूओं की झलक और आध्यात्मिक ऊर्जा महसूस होती है।

संस्कृत भाषा से व्युत्पन्न शब्द हरिद्वार एक संयुक्त शब्द है जो हरि और द्वार शब्द से मिलकर बना है। 'हरि' - भगवान विष्णु का एक प्रमुख नाम है, तथा 'द्वार' - प्रवेश द्वार के लिए प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार हरिद्वार का शाब्दिक अर्थ है- "हरि का द्वार" या "भगवान विष्णु का प्रवेश द्वार"। आम बोलचाल में हरिद्वार का अर्थ ईश्वर का प्रवेश द्वार, भगवान तक पहुँचने का द्वार अथवा विष्णु-लोक का द्वार (क्योंकि यहां से मोक्ष या विष्णु की कृपा प्राप्त होने की मान्यता है) भी माना जाता है। वहीं दूसरी ओर हरिद्वार को कुछ लोग "हरद्वार" भी कहते हैं। हर (Hara) — भगवान शिव का नाम है। शिव भक्त इसे हरद्वार और विष्णु भक्त इसे हरिद्वार कहते हैं। दोनों ही उच्चारण प्रचलित हैं और दोनों का भाव एक ही है — ईश्वर का द्वार। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि हरिद्वार को अलग-अलग कालखंडों में कई नामों से जाना गया है :

मायापुरी या माया — सबसे प्राचीन नाम, जो सप्त मोक्षदायिनी पुरियों में गिना जाता है।

गंगाद्वार — क्योंकि यहीं से गंगा अंततः पहाड़ों को छोड़कर मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है।

कपिलस्थान — ऋषि कपिल के आश्रम के कारण।

हरिद्वार / हरद्वार — "हरि का द्वार" अर्थात भगवान विष्णु का द्वार (हरि = विष्णु)। इसे बद्रीनाथ धाम का प्रवेश द्वार भी माना जाता है।

मेरा यह मानना है कि जीवन की प्रत्येक यात्रा एक अनोखी कहानी लेकर आती है। सबसे अच्छी बात यह है कि आपको यह सोचने की ज़रूरत नहीं है कि आप क्या लिखना चाहते हैं। कहानी अपने आप ही आकार ले लेती है। हरिद्वार की यात्रा भी हमारे जीवन की एक अविस्मरणीय यात्रा रही है। हरिद्वार एक पवित्र और शांत जगह है, जो भक्ति, ज्ञान और वैराग्य के लिए बहुत उपयुक्त है। हरिद्वार जैसे पवित्र स्थल पर हमें प्रकृति, धार्मिकता और भारतीय संस्कृति की सुंदर झलक एक साथ देखने को मिलती है।

हम लोगों ने अपनी यह यात्रा दिनांक 15 नवंबर, 2025 को कोलकाता के सबसे बड़े और व्यस्ततम रेलवे स्टेशन हावड़ा से प्रारंभ की। हमारी रेलगाड़ी- कुंभ एक्सप्रेश हावड़ा स्टेशन से दोपहर के 1.00 बजे खुलने वाली थी जो तकनीकी खराबी के कारण उस दिन पांच घंटे देरी से शाम के लगभग 6.00 बजे हावड़ा स्टेशन से खुली। हावड़ा स्टेशन से ट्रेन देरी से खुलने के कारण अगले दिन हम लोग भी काफी देरी से लगभग रात के 11.00 बजे हरिद्वार पहुँचे। यूं तो ट्रेन की देरी या लंबी रेल यात्रा से होने वाली थकावट के पश्चात हम सभी का मन अनायास ही थोड़ा आराम खोजता है, परंतु हरिद्वार एक ऐसा पवित्र तीर्थ स्थल है जहां की पवित्रता और सकारात्मक ऊर्जा के समक्ष

किसी भी प्रकार की थकावट फीकी पड़ जाती है। हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ, रात के 11.00 बजे जब हम हरिद्वार स्टेशन पर उतरे तब यहाँ की मंद, सुगंधित शीतल वायु, जो शिवालिक पहाड़ियों से होकर बह रही थी, हमारे तन-मन को ऊर्जा और पवित्रता से भर दे रही थी साथ ही 'हर हर गंगे' का भाव और हरिद्वार के उस पावन वातावरण का एहसास, जिससे हमारी यात्रा की सारी थकावट चंद सेकेंडो में दूर हो गयी।

हरिद्वार पहुँचकर हम अपने होटल की ओर चल पड़े। हरिद्वार रेलवे स्टेशन के पास ठहरने के लिए कई किफायती और बजट के अनुकूल होटल उपलब्ध हैं, जो स्टेशन से लगभग 1 से 2 किलोमीटर के भीतर अवस्थित हैं। अगले दिन तड़के सुबह हम सपरिवार हरिद्वार के प्रसिद्ध आध्यात्मिक घाट "हर की पौड़ी" पहुँच गए। हर की पौड़ी को गंगा नदी का पर्वतीय निकास और मैदानी इलाकों में प्रवेश का स्थान माना जाता है। हर की पौड़ी के भीतर स्थित वह स्थान, जहाँ शाम की गंगा आरती होती है और जिसे सबसे पवित्र घाट माना जाता है, ब्रह्म कुंड के नाम से प्रसिद्ध है। गंगा आरती के समय यहाँ भक्तों का मेला-सा लग जाता है। इस आरती को देखने के लिए लाखों तीर्थ यात्री, पर्यटक जिसमें विदेशी पर्यटक भी शामिल है, वें हरिद्वार की तरफ खिंचे चले आते हैं। 'हर की पौड़ी' का अर्थ है भगवान विष्णु के चरण (पौड़ी) (हर का अर्थ है ईश्वर)। ऐसा माना जाता है कि वैदिक काल में भगवान विष्णु इसी स्थान पर प्रकट हुए थे और उनके पदचिह्न गंगा के जल में अंकित हो गए थे। यह वही स्थान है जहाँ समुद्र मंथन के बाद गरुड़ (भगवान विष्णु का वाहन) द्वारा कलश में ले जाते समय आकाश से अमृत (अमरता का अमृत) की बूँदें गिरी थीं। ऐसा भी माना जाता है कि पवित्र त्रिमूर्ति, ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने भी पवित्र ब्रह्मकुंड को अपनी दिव्य उपस्थिति से सुशोभित किया है। हजारों श्रद्धालु और तीर्थयात्री दुनिया भर से यहाँ पवित्र स्नान करने आते हैं, मान्यता है कि यहाँ स्नान करने से उनके पाप या कर्म धुल जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। फलस्वरूप हमनें भी उस दिव्य गंगा नदी में पवित्र स्नान किया और श्री गंगा जी मंदिर तथा हरिचरण मंदिर में दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। साथ ही हर की पौड़ी घाट पर शाम के समय होने वाली गंगा आरती का भी हम लोगों ने दर्शन किया, जो अपने आप में एक अविस्मरणीय और भव्य अनुभव था। इस गंगा आरती के समय होने वाली ध्वनि, शंखों की गूंज, घंटियों की खनक और हज़ारों लोगों का एक साथ "हर-हर गंगे, जय गंगे माता" गाना हर तीर्थयात्री के मन को एक दिव्य अनुभूति से भर देता है। हरिद्वार के इस प्रसिद्ध घाट- हर की पौड़ी के विषय में मैं यहीं कहना चाहता हूँ कि चाहे किसी भी ऋतु में आप हरिद्वार क्यों न जाएं, आपके मन में पवित्र गंगा नदी की शीतल निर्मल जल की कलकल ध्वनि, भगवा वस्त्र पहने साधुओं के समूह, लोगों की विशाल भीड़, वैदिक भजनों की मधुर ध्वनि और इस स्थान की दिव्य पवित्रता का एक मनमोहक चित्र अवश्य रूप से उभर आएगा।

हरिद्वार में हर की पौड़ी घाट में स्नान के पश्चात हम सभी हरिद्वार के तीन सिद्ध पीठों यानी 'मनसा देवी मंदिर, चंडी देवी मंदिर और माया देवी मंदिर' के दर्शन हेतु अग्रसर हुए। हरिद्वार के तीर्थयात्रियों के लिए मनसा देवी मंदिर एक अनिवार्य दर्शन स्थल है, जो शिवालिक पर्वतमाला की बिल्वा पहाड़ियों में स्थित है। यह मंदिर महाशक्ति देवी को समर्पित है और मनसा देवी के नाम से प्रसिद्ध है क्योंकि वे अपने सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करती हैं, इसलिए इसे सिद्ध पीठ माना जाता है। मनसा देवी को नाग वासुकी की बहन माना जाता है और उनका उद्भव भगवान शिव के मस्तिष्क से हुआ था, ऐसी भी मान्यता है। यह मंदिर हर की पौड़ी से लगभग 3 किमी की दूरी पर अवस्थित है। यहां

पैदल चढ़ाई करके या रोपवे (उड़न खटोला) द्वारा पहुंचा जा सकता है, जो चंडी देवी मंदिर तक भी जाता है। हरिद्वार के पास नील पर्वत पर स्थित चंडी देवी मंदिर माता पार्वती के चंडिका रूप को समर्पित है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मां चंडी देवाताओं की रक्षा के लिए चंड-मुंड और शुंभ-निशुंभ जैसे राक्षसों का संहार करती हैं। ऐसा माना जाता है कि इन राक्षसों का वध करने के बाद देवताओं के निवेदन पर मां चंडी इसी स्थान पर विराजमान हुईं और आदिकाल से अपने भक्तों का कल्याण कर रही हैं।

हरिद्वार में न जाने कितने ही मंदिर और पवित्र स्थल है, सबकी अपनी अपनी महिमा है। इनमें से कुछ और प्रसिद्ध स्थलों के नाम, जहाँ हमने सपरिवार दर्शन किया वे हैं- 1). माया देवी मंदिर जो की माया देवी को समर्पित है, 2). कनखल स्थित दक्षेश्वर महादेव मंदिर, जो भगवान शिव को समर्पित है और कहा जाता है की यही पर राजा दक्ष प्रजापति ने वह यज्ञ किया था जिसमें महादेव को आमंत्रित न करने पर तथा यज्ञ स्थल पर शिव का अपमान किये जाने से देवी सती अपने पिता दक्ष पर क्रोधित होकर यज्ञ की अग्नि में अपना देह त्याग देती हैं। 3). भारत माता मंदिर जो की आधुनिक युग का एक आठ मंज़िला भव्य मंदिर है। भारत माता मंदिर स्वामी सत्यमित्रानंद गिरि द्वारा स्थापित एक धार्मिक स्थल है। 4). महामृत्युंजय मंदिर - ऐसा माना जाता है कि महा मृत्युंजय मंत्र का जाप करना आत्म-साक्षात्कार का एक शुभ और शक्तिशाली तरीका है। यह बुरी शक्तियों को दूर करने में सहायक होता है और सभी प्रकार के भय, बीमारियों और नकारात्मकता से मुक्ति दिलाता है। यह मंत्र भगवान शिव के मोक्ष मंत्र के रूप में भी प्रसिद्ध है, ऐसा कहा जाता है कि महा मृत्युंजय मंत्र का जाप दिव्य स्पंदन उत्पन्न करता है जो स्वास्थ्य लाभ प्रदान करते हैं।

हरिद्वार उत्तराखंड का एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है जहाँ वर्षभर पर्यटकों का तांता लगा रहता है। यहाँ सर्दियाँ (अक्टूबर-फरवरी) ठंडी होती हैं, जबकि गर्मियाँ (मार्च-जून) सुहावनी रहती हैं। मानसून (जुलाई-सितंबर) में भारी बारिश होती है और इस दौरान कांवड़ मेला जैसे कई धार्मिक आयोजन भी आयोजित किए जाते हैं। अंततः हम कह सकते हैं कि हरिद्वार की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत बहुत समृद्ध और प्राचीन है। यह शहर न केवल धार्मिक, बल्कि योग और आयुर्वेद का भी एक प्रमुख केंद्र है, जो शांति चाहने वालों के लिए आदर्श है। अबुल फजल द्वारा लिखित अकबर की जीवनी 'आईन-ए-अकबरी' में हरिद्वार को माया के नाम से वर्णित किया गया है ।'आईन-ए-अकबरी' के अनुसार, **मुगल सम्राट अकबर हरिद्वार से एकत्रित गंगा नदी का जल पीते थे, जिसे वे 'अमरता का जल' कहते थे**। तदनुसार त्रिभुवन पावनी श्री गंगा जी की पवित्र नील धारा में स्नान करने एवं आध्यात्मिक शांति की प्राप्ति तथा जो व्यक्ति निर्मल तीर्थ की इच्छा रखते हें उन्हें जीवन में एक बार हरिद्वार अवश्य जाना चाहिए।

श्री राजीव दास
वरिष्ठ अनुवादक

पिता के साये में

पिता का साया जीवन की वह अनमोल धरोहर है, जो हमें हर कठिन परिस्थिति में सुरक्षा, साहस और मार्गदर्शन प्रदान करता है। पिता केवल परिवार के मुखिया नहीं होते, बल्कि वे हमारे जीवन के पहले शिक्षक, सबसे मजबूत सहारा और सबसे निःस्वार्थ प्रेरणास्रोत होते हैं। उनका प्रेम अक्सर शब्दों में कम और कर्मों में अधिक दिखाई देता है, लेकिन वही मौन प्रेम हमारे जीवन की सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है।

बचपन में पिता का साया हमें भय से बचाता है और आत्मविश्वास से भर देता है। जब हम जीवन की पहली चुनौतियों का सामना करते हैं, तब पिता की उपस्थिति हमें यह विश्वास दिलाती है कि हम कभी अकेले नहीं हैं। उनका मजबूत व्यक्तित्व और उनका धैर्य हमें सिखाता है कि कठिनाइयों से डरने के बजाय उनका सामना कैसे किया जाए।

पिता का त्याग अक्सर दिखाई नहीं देता, लेकिन वह हर पल हमारे जीवन में मौजूद रहता है। वे अपनी इच्छाओं, सपनों और आराम को त्यागकर अपने बच्चों के उज्ज्वल भविष्य का निर्माण करते हैं। उनकी दिन-रात की मेहनत, उनकी चुप्पी में छिपी चिंता और उनकी आँखों में बसा गर्व—सब मिलकर पिता के निःस्वार्थ प्रेम की कहानी कहते हैं।

उनकी सख्ती में भी अपनापन छुपा होता है। पिता हमें अनुशासन, ईमानदारी और जिम्मेदारी का महत्व सिखाते हैं। कई बार उनके नियम हमें कठोर लगते हैं, लेकिन समय के साथ हम समझ पाते हैं कि उन्हीं नियमों ने हमें एक मजबूत और आत्मनिर्भर इंसान बनाया है। पिता के संस्कार हमारे जीवन की नींव बन जाते हैं।

पिता का साया हमें यह सिखाता है कि असफलता अंत नहीं है, बल्कि सफलता की ओर बढ़ने का एक चरण है। जब हम हार से टूट जाते हैं, तब पिता की सीख हमें फिर से उठ खड़े होने की प्रेरणा देती है। वे हमें सिखाते हैं कि सच्ची सफलता केवल धन या प्रसिद्धि में नहीं, बल्कि अच्छे इंसान बनने में निहित है।

समय के साथ पिता की भूमिका बदलती रहती है—बचपन में वे हमारे रक्षक होते हैं, युवावस्था में मार्गदर्शक और मित्र बन जाते हैं, और बड़े होने पर हमारे आदर्श और प्रेरणा स्रोत बनते हैं। उनके अनुभव, उनकी सीख और उनका आशीर्वाद जीवन भर हमारा मार्गदर्शन करते रहते हैं।

जब कभी पिता का साया सिर से हट जाता है, तब उनकी अहमियत का वास्तविक एहसास होता है। उनकी यादें, उनकी बातें और उनका दिया हुआ संस्कार हमारे जीवन का संबल बन जाता है। पिता का साया भले ही शारीरिक रूप से दूर हो, लेकिन उनके संस्कार और प्रेम हमेशा हमारे साथ रहते हैं।

अंततः, पिता का साया जीवन की वह शक्ति है, जो हमें मजबूत बनाती है, सही राह दिखाती है और हर कठिनाई में आशा की किरण जगाती है। उनके बिना जीवन अधूरा सा लगता है, और उनके साये में ही जीवन को पूर्णता और अर्थ प्राप्त होता है।

पिता का साया, धूप में छाया,
जीवन की राह में दीपक बन आया।
अनकहे शब्द, अनसुना प्यार,
हर कठिन मोड़ पर मजबूत दीवार।
बचपन की हर डगमग चाल में,
उनका हाथ था हर सवाल में।
डर जब आँखों में घर करता था,
पिता का साया हौसला भरता था।
वे बोलते कम, करते ज्यादा,
हर सपना बच्चों के नाम साजा।
खुद की खुशियाँ पीछे छोड़,
हमारे लिए बन गए मजबूत किला और मोड़।
उनकी सख्ती में छुपा दुलार,
हर सीख में बसा जीवन-सार।
डाँट के पीछे चिंता होती,
हर मौन में ममता सोती।

सुबह की पहली किरण जैसे,
वे उम्मीद जगाते मन में वैसे।
थकान ओढ़े, मुस्कान सजाए,
हर दिन संघर्ष का गीत सुनाए।
पिता का साया केवल नाम नहीं,
यह जीवन का अभिमान सही।
संघर्ष, त्याग और बलिदान,
इन्हीं से बनता पिता महान।
जब जीवन राह में ठोकर लगे,
और सपनों पर अंधेरा छा जाए,
पिता की याद, उनकी सीख,
फिर से जीने की राह दिखाए।
आज भी दिल में गूँजती है,
उनकी हर कही, हर अनकही बात।
पिता का साया अमर रहेगा,
जब तक साँसों में है जीवन की आस।

सुश्री सुमन कुमारी
कनिष्ठ अनुवादक

जीवन में वित्तीय अनुशासन का महत्व

जीवन में वित्तीय अनुशासन का महत्व केवल पैसा बचाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मानसिक शांति और भविष्य की सुरक्षा का आधार भी है। वित्तीय अनुशासन, वित्तीय संसाधनों के प्रभावी प्रबंधन और दीर्घकालिक रूप से धन संचय सुनिश्चित करने के लिए, सोच-समझकर खर्च करने, बचत करने और निवेश करने का एक निरंतर अभ्यास है। इसे हम अपनी आर्थिक नाव की 'पतवार' समझ सकते हैं, जो हमें वित्तीय अनिश्चितताओं और अचानक आने वाले खर्चों के बीच डूबने से बचाती है। यह ऋण से बचने और वित्तीय स्थिरता प्राप्त करने पर केंद्रित है। वित्तीय अनुशासन एक कौशल है जिसमें सोच-समझकर वित्तीय निर्णय लेना और संसाधनों का प्रभावी प्रबंधन करना शामिल है। वित्तीय अनुशासन का अर्थ है अपनी आय और खर्चों का सही ढंग से प्रबंधन करना, अपनी आय और खर्चों में एक स्वस्थ्य संतुलन स्थापित करना, अनावश्यक खर्चों से बचना तथा भविष्य के लिए बचत और निवेश करना। आज के समय में जब जीवन की आवश्यकताएँ और इच्छाएँ दोनों तेजी से बढ़ रही हैं, तब वित्तीय अनुशासन का महत्व और भी अधिक रेखांकित हो गया है। वित्तीय अनुशासन का सही मतलब कृपणता करना नहीं है, बल्कि अपने धन को इस तरह प्रबंधित करना है कि वह धन आपातकालीन स्थितियों जैसे बीमारी, नौकरी का नुकसान या अन्य अप्रत्याशित परिस्थितियों में आपके काम आए।

वित्तीय अनुशासन के तीन सरल चरण इस प्रकार हैं- (i) बजट व्यवस्था अर्थात अपनी जरूरतों, इच्छाओं पर होने वाले खर्च तथा बचत के बीच संतुलन स्थापित करना। (ii) बजट की नियमित निगरानी अर्थात खर्चों को डायरी में लिखकर एवं उसका विश्लेषण कर, फिजूलखर्ची की पहचान करना। (iii) मौजूदा मार्केट स्थिति का सही ढंग से आँकलन कर तथा यथासंभव भविष्य की योजना बनाकर उचित निवेश करना।

वित्तीय अनुशासन व्यक्ति को अपनी आय के भीतर रहकर जीवन जीना सिखाता है। वित्तीय अनुशासन का सही अर्थ है—अपनी चादर देखकर पैर पसारना। जब आप अपनी आय से कम खर्च करते हैं और क्रेडिट कार्ड या अनावश्यक ऋण से बचते हैं तो आप मानसिक रूप से स्वतंत्र रहते हैं। मानसिक रूप से स्वतंत्र रहना, जो जीवन की सबसे अमूल्य निधि है, उसके लिए वित्तीय अनुशासन अपरिहार्य है। कहते हैं कि " जो व्यक्ति आज उन चीजों को खरीदता है जिनकी उसे जरूरत नहीं है, उसे कल उन चीजों को बेचना पड़ सकता है जिनकी उसे सख्त जरूरत है"। यदि कोई व्यक्ति बिना सोचे-समझे खर्च करता है, तो वह जल्दी ही कर्ज के जाल में फँस सकता है, इसके विपरीत, जो व्यक्ति अपने खर्चों की योजना बनाता है और बजट बनाकर चलता है, वह आर्थिक समस्याओं से काफी हद तक बचा रहता है। वित्तीय अनुशासन बचत और निवेश की आदत विकसित करता है। नियमित रूप से थोड़ी-थोड़ी बचत भविष्य में बड़ी पूँजी का रूप ले सकती है।

वित्तीय अनुशासन व्यक्ति के जीवन में आत्मविश्वास और स्थिरता लाता है। जब व्यक्ति को यह भरोसा होता है कि उसकी आर्थिक स्थिति सुरक्षित और स्थिर है, तब वह अपने जीवन के अन्य क्षेत्रों—जैसे शिक्षा, कैरियर और परिवार आदि पर अधिक ध्यान दे सकता है। जब एक व्यक्ति की आर्थिक स्थिति स्थिर होती है, तब वह दबाव में गलत निर्णय नहीं लेता, अपनी पसंद का कैरियर चुन सकता है या नया बिजनेस शुरू करने का जोखिम ले सकता है क्योंकि उसके पास वित्तीय बैकअप होता है।

निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि वित्तीय अनुशासन सफल और संतुलित जीवन का एक महत्वपूर्ण आधार है। यदि व्यक्ति कम उम्र से ही बचत, बजट और समझदारी से खर्च करने की आदत डाल ले, तो वह भविष्य में आर्थिक संकटों से बच सकता है और एक सुरक्षित तथा समृद्ध जीवन जी सकता है। इसलिए हर व्यक्ति को अपने जीवन में वित्तीय अनुशासन सख्ती से अपनाना चाहिए।

श्री वसीम मिन्हास
सहायक निदेशक
(राजभाषा)

आप जिस तरह बोलते हैं, बातचीत करते हैं,
उसी तरह लिखा भी कीजिए।
भाषा बनावटी नहीं होनी चाहिए।

गोंड जाति (जनजाति)

1. प्रस्तावना

भारत विविधताओं से भरा हुआ देश है, जहाँ अनेक जातियाँ और जनजातियाँ निवास करती हैं। गोंड जनजाति भारत की एक प्रमुख एवं प्राचीन जनजाति है, जो मुख्य रूप से मध्य भारत में पाई जाती है। यह जनजाति अपनी विशिष्ट संस्कृति, परंपराओं, भाषा, कला और सामाजिक व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध है। भारत सरकार द्वारा गोंड जनजाति को अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्रदान किया गया है।

2. गोंड शब्द की उत्पत्ति

"गोंड" शब्द की उत्पत्ति को लेकर विद्वानों में मतभेद पाए जाते हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि यह शब्द तेलुगु भाषा के "कोंड" या "कोंडा" से निकला है, जिसका अर्थ पहाड़ होता है। पहाड़ी और वन क्षेत्रों में निवास करने के कारण इन्हें गोंड कहा गया। वहीं कुछ विद्वानों के अनुसार गोंड स्वयं को "कोइ" कहते हैं, जिसका अर्थ मनुष्य होता है।

3. निवास क्षेत्र

गोंड जनजाति भारत की सबसे बड़ी जनजातियों में से एक है। इनका निवास मुख्यतः मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। ये क्षेत्र घने जंगलों, पहाड़ों और नदियों से युक्त हैं, जो गोंडों के जीवन-यापन के लिए अनुकूल रहे हैं।

4. ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

गोंड जनजाति का इतिहास अत्यंत प्राचीन और गौरवशाली रहा है। गोंडों ने मध्य भारत में कई शक्तिशाली राज्यों की स्थापना की थी, जिनमें गोंडवाना राज्य सबसे प्रसिद्ध था। गोंड राजाओं ने लंबे समय तक शासन किया और प्रशासन, कला तथा संस्कृति के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

5. प्रमुख गोंड शासक

गोंड इतिहास में राजा संग्राम शाह और रानी दुर्गावती का विशेष स्थान है। रानी दुर्गावती एक वीर और साहसी शासिका थीं, जिन्होंने मुगलों के विरुद्ध युद्ध किया। उन्होंने अपने राज्य की रक्षा करते हुए वीरगति प्राप्त की और आज भी वे नारी शक्ति, स्वाभिमान और साहस की प्रतीक मानी जाती हैं।

6. सामाजिक व्यवस्था

गोंड समाज एक संगठित और अनुशासित सामाजिक व्यवस्था पर आधारित है। इनका समाज कुल या क्लैन प्रणाली पर टिका हुआ है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी कुल से संबंधित होता है। समाज में बुजुर्गों और मुखिया का विशेष सम्मान किया जाता है। आपसी सहयोग, समानता और सामूहिकता गोंड समाज की प्रमुख विशेषताएँ हैं। एक ही कुल में विवाह करना वर्जित माना जाता है।

7. भाषा

गोंड जनजाति की अपनी भाषा गोंडी है, जो द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित मानी जाती है। वर्तमान समय में अनेक गोंड लोग हिंदी, मराठी, तेलुगु और छत्तीसगढ़ी जैसी भाषाओं का भी प्रयोग करने लगे हैं। आधुनिकता और शिक्षा के प्रभाव से गोंडी भाषा धीरे-धीरे सीमित होती जा रही है, इसलिए इसके संरक्षण की आवश्यकता महसूस की जा रही है।

8. धार्मिक विश्वास

गोंड जनजाति प्रकृति-पूजक मानी जाती है। ये लोग जंगल, पहाड़, नदी, सूर्य, चंद्रमा और वृक्षों को देवता के रूप में पूजते हैं। इनके प्रमुख देवताओं में बड़ादेव, फर्सापेन, ठाकुर देव और नाग देव शामिल हैं। इनके धार्मिक अनुष्ठान सरल होते हैं, लेकिन गहरी आस्था से जुड़े रहते हैं।

9. पर्व और त्योहार

गोंडों के पर्व और त्योहार मुख्यतः कृषि, मौसम और प्रकृति से संबंधित होते हैं। हरेली, पोला, दिवाली (स्थानीय रूप में) और नवाखानी इनके प्रमुख त्योहार हैं। इन अवसरों पर नृत्य, गीत, पूजा और सामूहिक भोज का आयोजन किया जाता है, जिससे सामाजिक एकता मजबूत होती है।

10. विवाह प्रथा

गोंड समाज में विवाह एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्कार माना जाता है। विवाह सामान्यतः माता-पिता और समाज की सहमति से संपन्न होता है। विवाह में सामाजिक नियमों और परंपराओं का पालन किया जाता है तथा कुल व्यवस्था का विशेष ध्यान रखा जाता है।

11. कला और संस्कृति

गोंड जनजाति अपनी विशिष्ट कला और संस्कृति के लिए विश्व-प्रसिद्ध है। गोंड चित्रकला ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई है, जिसमें पशु-पक्षी, पेड़-पौधे और प्रकृति का सुंदर चित्रण किया जाता है। इसके अतिरिक्त लोकगीत और लोकनृत्य गोंडों के सांस्कृतिक जीवन के महत्व-पूर्ण अंग हैं।

12. आर्थिक जीवन

गोंडों की आर्थिक स्थिति परंपरागत रूप से कृषि, वनोपज संग्रह, पशुपालन और शिकार पर आधारित रही है। वे महुआ, तेंदूपत्ता, शहद और लकड़ी जैसे वनोपज पर निर्भर रहते थे। वर्तमान समय में शिक्षा और सरकारी योजनाओं के कारण वे धीरे-धीरे आधुनिक रोजगारों की ओर बढ़ रहे हैं, फिर भी अनेक गोंड परिवार आज भी गरीबी से जूझ रहे हैं।

13. उपसंहार

गोंड जनजाति भारत की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इनका इतिहास गौरवशाली, संस्कृति समृद्ध और जीवन प्रकृति के साथ सामंजस्यपूर्ण है। आधुनिक विकास के साथ उत्पन्न चुनौतियों का समाधान शिक्षा, जागरूकता और संरक्षण के माध्यम से किया जा सकता है। हमें गोंड जनजाति की भाषा, संस्कृति और परंपराओं का सम्मान करते हुए उन्हें विकास की मुख्यधारा से जोड़ना चाहिए।

श्री सूजय प्रसाद
लेखापरीक्षक

भाषा प्रयुक्ति

अनुवाद अध्ययन में स्नातकोत्तर कार्यक्रम करते समय 'भाषा प्रयुक्ति' विषय को समझना मेरे लिए सबसे रोचक रहा था। साथ ही, यह विषय मुझे सीटीबी, कोलकाता में अनुवाद प्रशिक्षण के दौरान भी पढ़ाया गया था। भाषा प्रयुक्ति (Language Register), भाषा प्रयोग के विविध क्षेत्रों में प्रयोग में लाई जाने वाली शैली है, जो विशेष रूप से उसी क्षेत्र-विशेष में प्रयोग में लाई जाती है।

घरेलू भाषा प्रयुक्ति अलग होती है, स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में अलग। कॉर्पोरेट जगत में अलग और सरकारी कार्यालयों में अलग। फिल्मों में अलग और विज्ञापन में अलग। इस प्रकार हम पाते हैं कि भाषा प्रयोग के विभिन्न क्षेत्र भाषा की भिन्न-भिन्न शैली का प्रयोग करते हैं, अर्थात् भाषा प्रयोग के विभिन्न क्षेत्र की भाषा प्रयुक्ति अलग-अलग है।

भारत इंग्लैंड के साथ क्रिकेट मैच खेलता है, जिसमें भारत 6 विकेट से जीत जाता है। अगली सुबह के अंग्रेजी अखबार में छपता है ***INDIA BEATS ENGLAND BY 6 WICKETS***, वहीं हिंदी अखबार में छपता है- ***भारत ने इंग्लैंड को 6 विकेटों से रौंदा।*** भारत ने क्रिकेट मैच में इंग्लैंड को हराया था, ना ही पीटा था, ना ही रौंदा था। और बीते रात के मैच में हराया था, रोज नहीं हराता है, अंग्रेजी अखबार ने सिम्पल प्रेजेंट टेन्स का प्रयोग कर दिया है। पत्रकारिता की पढ़ाई कर रहे छात्रों को पढ़ाई के दौरान इन सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा। हमें नहीं मिला क्योंकि हमने पत्रकारिता की पढ़ाई ही नहीं की। अब पूरी जिंदगी बिना इन बातों को समझे ही अखबार पढ़ना होगा। मतलब अखबार में खबर को जिस शैली में छापा जाए, उस शैली को स्वीकार करना होगा, क्योंकि यह शैली लंबे समय से है, गलत है, या सही है, जो भी है, लंबे समय से स्वीकार्य है। स्वीकार्यता और प्रचलन की वजह से ही यह पत्रकारिता क्षेत्र की भाषा प्रयुक्ति है। चाहे कितना भी बड़ा विद्वान इसे नहीं बदल पाएगा।

जब मैंने अनुवादक के रूप में काम करना शुरू किया था, तो अनुवाद के लिए ऑफिस ऑर्डर मिलते थे, जिसमें लिखा होता था —

In pursuance of Headquarters letter no. ABC/123 dated WW/WW/WWWW, this office Shri DEF GHI stands released on XX/XX/XXXX to take transit on YY/YY/YYYY to participate in PQRS Conference to be held on ZZ/ZZ/ZZZZ at New Delhi.

जिसका अनुवाद करना होता था —

मुख्यालय के पत्र सं. ABC/123 दिनांकित WW/WW/WWWW के अनुसरण में, इस कार्यालय के श्री DEF GHI को दिनांक ZZ/ZZ/ZZZZ को नई दिल्ली में आयोजित होने वाली PQRS सम्मेलन में भाग लेने हेतु दिनांक YY/YY/YYYY को पारगमन लेने के लिए दिनांक XX/XX/XXXX को कार्यमुक्त किया जाता है।

'Headquarters letter no. ABC/123' और 'this office Shri DEF GHI' जैसे पद आते ही थोड़ा अटपटा लगता था। व्याकरण की दृष्टि से होना चाहिए था 'Headquarters' letter no. ABC/123' और 'this office' Shri DEF GHI', लेकिन कार्यालय आदेश लिखने की पुरानी परंपरा यह रही है कि बड़े अधिकारी मौखिक रूप से आदेश का वाचन करते थे और आशुलिपिक या अधीनस्थ कर्मचारी उसे नोट करके अधिकारी के सामने प्रस्तुत करते थे। अधिकारी Headquarters - Headquarters' तथा office — office' दोनों का उच्चारण एक ही तरह करते थे। अधीनस्थ कर्मचारी संदर्भ के अनुसार उनमें अंतर न करके सीधे Headquarters और office ही लिख देते थे। इस त्रुटि के साथ ही लंबे समय तक कार्यालय की भाषा में प्रयोग की जाने के कारण यह आधिकारिक भाषा-प्रयुक्ति बन गई।

श्री अभिनव कुमार
कनिष्ठ अनुवादक

आँसू

आँसू भी अब आवाज़ नहीं करते, बह जाते हैं,
हम रोज़ ख़ुद से मिलते हैं, फिर खो जाते हैं।

जो लोग "हमेशा" कहकर सीने से लगते थे,
वक़्त आया तो वही लोग दूर हो जाते हैं।

कहने को बहुत कुछ था, मगर कह न सके हम,
कुछ दर्द लफ़्ज़ों से पहले ही मर जाते हैं।

तकिया जानता है रात का हर एक किस्सा,
दिन में जो मुस्काते हैं, रात रो जाते हैं।

हमने चाहा था बहुत, यही सबसे बड़ी भूल,
अक्सर सच्चे जज़्बे ही सज़ा पा जाते हैं।

आईने से रोज़ वही एक सवाल मिलता है—
क्या यूँ ही थक कर लोग ज़िंदा रह जाते हैं?

माफ़ी भी अजीब चीज़ है, आँखों में रहती है,
होंठों तक आते-आते रिश्ते ढह जाते हैं।

ख़ुशी भी अब मेहमान है, देर से आती है,
और ग़म बिना दस्तक के दिल में आ जाते हैं।

आँसू कमज़ोरी नहीं, ये आख़िरी सबूत हैं,
कि दिल अभी पत्थर में तब्दील नहीं हो जाते हैं।

हमने ख़ामोशी को भी एक हुनर मान लिया,
वरना कुछ सच बोलते ही घर उजड़ जाते हैं।

कभी जो अपने थे, अब अजनबी से लगते हैं,
कुछ फ़ासले वक़्त के साथ आदत बन जाते हैं।

रात बहुत कुछ छीन लेती है इंसान से,
सुबह तक बस थकी हुई आँखें रह जाते हैं।

हम हर किसी को हँस कर माफ़ करते रहे,
और अंदर ही अंदर ख़ुद से हार जाते हैं।

यादें भी कर्ज़ होती हैं, सूद समेत,
जितना भुलाओ, उतना लौट आते हैं।

दिल रोज़ समझौते करता है ज़िंदगी से,
कुछ ख़्वाब बस इसी में कुचले जाते हैं।

हम भी कभी आसान थे, हल्के थे बहुत,
अब हर बात पर चुप रहना सीख जाते हैं।

किसी ने पूछा हाल, तो आदत से कह दिया—
"सब ठीक है", यहीं जज़्बात रुक जाते हैं।

सबसे ज़्यादा दर्द वही लोग देते हैं,
जिन्हें हम अपना समझ कर सब बता जाते हैं।

और आख़िर में बस इतना ही बचता है,
आँसू बह जाते हैं...
और हम रह जाते हैं।

सुश्री नीलम प्रसाद
पत्नी, श्री सूजय प्रसाद,
लेखापरीक्षक

मेरा दोस्त

मेरा दोस्त है सबसे निराला,
हँसी का है वो उजियाला।
सुबह-सुबह स्कूल में मिलते,
सपनों की बातें रोज़ हम सिलते।

कंधे से कंधा मिलाकर चलते,
हर मुश्किल से हँसकर निपटते।
कभी जीते, कभी हार भी जाएँ,
पर दोस्ती में फर्क न आए।

क्लास में चुपके-से बातें करना,
टीचर से नज़रें भी चुराना।
लंच बॉक्स जब खाली हो जाए,
दोस्त ही पहले याद आए।

खेल के मैदान में दौड़ लगाना,
कभी कबड्डी, कभी छुप जाना।
मिट्टी लगे कपड़े, चेहरे लाल,
मस्ती में बीत जाए हर हाल।

अगर मैं रोऊँ, वो हँसाए,
गलत करूँ, तो समझाए।
मेरी खुशी में खुश हो जाए,
मेरे दुख में साथ निभाए।

सपनों की दुनिया हम सजाएँ,
कभी डॉक्टर, कभी पायलट बन जाएँ।
बड़े होकर क्या बनना है,
ये राज़ भी दोस्त ही जाने।

दोस्ती है सबसे प्यारा रिश्ता,
न इसमें छोटा, न कोई बड़ा हिस्सा।
मेरा दोस्त, मेरी शान है,
उसके संग हर दिन आसान है।

भगवान करे ये साथ न छूटे,
बचपन की ये डोर न टूटे।
मेरा दोस्त रहे सदा पास,
दोस्ती में ही है खुशियों का राज़।

श्री दिव्यांश प्रसाद
पुत्र, श्री सूजय प्रसाद,
लेखापरीक्षक

राजभाषा नियम, 1976

राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976

(यथा संशोधित, 1987, 2007 तथा 2011)

सा.का.नि. 1052 --राजभाषा अधिनियम, 1963 (1963 का 19) की धारा 3 की उपधारा (4) के साथ पठित धारा 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ -

A. इन नियमों का संक्षिप्त नाम राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 है।

B. इनका विस्तार, तमिलनाडु राज्य के सिवाय सम्पूर्ण भारत पर है।

C. ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं- इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न होः-

A. 'अधिनियम' से राजभाषा अधिनियम, 1963 (1963 का 19) अभिप्रेत है;

B. 'केन्द्रीय सरकार के कार्यालय' के अन्तर्गत निम्नलिखित भी है, अर्थातः-

C. केन्द्रीय सरकार का कोई मंत्रालय, विभाग या कार्यालय;

D. केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किसी आयोग, समिति या अधिकरण का कोई कार्यालय; और

E. केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व में या नियंत्रण के अधीन किसी निगम या कम्पनी का कोई कार्यालय;

F. 'कर्मचारी' से केन्द्रीय सरकार के कार्यालय में नियोजित कोई व्यक्ति अभिप्रेत है;

G. 'अधिसूचित कार्यालय' से नियम 10 के उपनियम (4) के अधीन अधिसूचित कार्यालय, अभिप्रेत है;

H. 'हिन्दी में प्रवीणता' से नियम 9 में वर्णित प्रवीणता अभिप्रेत है ;

I. 'क्षेत्र क' से बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड़, उत्तराखंड, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्य तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र अभिप्रेत है;

J. 'क्षेत्र ख' से गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब राज्य तथा चंडीगढ़, दमण और दीव तथा दादरा और नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र अभिप्रेत हैं;

K. 'क्षेत्र ग' से खंड (च) और (छ) में निर्दिष्ट राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से भिन्न राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र अभिप्रेत है;

L. हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान' से नियम 10 में वर्णित कार्यसाधक ज्ञान अभिप्रेत है।

3. राज्यों आदि और केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों से भिन्न कार्यालयों के साथ पत्रादि-

1. केन्द्रीय सरकार के कार्यालय से क्षेत्र 'क' में किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र को या ऐसे राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में किसी कार्यालय (जो केन्द्रीय सरकार का कार्यालय न हो) या व्यक्ति को पत्रादि असाधारण दशाओं को छोड़कर हिन्दी में होंगे और यदि उनमें से किसी को कोई पत्रादि अंग्रेजी में भेजे जाते हैं तो उनके साथ उनका हिन्दी अनुवाद भी भेजा जाएगा।

2. केन्द्रीय सरकार के कार्यालय से--

a. क्षेत्र 'ख' में किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र को या ऐसे राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में किसी कार्यालय (जो केन्द्रीय सरकार का कार्यालय न हो) को पत्रादि सामान्यतया हिन्दी में होंगे और यदि इनमें से किसी को कोई पत्रादि अंग्रेजी में भेजे जाते हैं तो उनके साथ उनका हिन्दी अनुवाद भी भेजा जाएगाः परन्तु यदि कोई ऐसा राज्य या संघ राज्य क्षेत्र यह चाहता है कि किसी विशिष्ट वर्ग या प्रवर्ग के पत्रादि या उसके किसी कार्यालय के लिए आशयित पत्रादि संबद्ध राज्य या संघ राज्यक्षेत्र की सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि तक अंग्रेजी या हिन्दी में भेजे जाएं और उसके साथ दूसरी भाषा में उसका अनुवाद भी भेजा जाए तो ऐसे पत्रादि उसी रीति से भेजे जाएंगे;

b. क्षेत्र 'ख' के किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को पत्रादि हिन्दी या अंग्रेजी में भेजे जा सकते हैं।

3. केन्द्रीय सरकार के कार्यालय से क्षेत्र 'ग' में किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र को या ऐसे राज्य में किसी कार्यालय (जो केन्द्रीय सरकार का कार्यालय न हो)या व्यक्ति को पत्रादि अंग्रेजी में होंगे।

4. उप नियम (1) और (2) में किसी बात के होते हुए भी, क्षेत्र 'ग' में केन्द्रीय सरकार के कार्यालय से क्षेत्र 'क'या'ख'में किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र को या ऐसे राज्य में किसी कार्यालय (जो केन्द्रीय सरकार का कार्यालय न हो) या व्यक्ति को पत्रादि हिन्दी या अंग्रेजी में हो सकते हैं । परन्तु हिन्दी में पत्रादि ऐसे अनुपात में होंगे जो केन्द्रीय सरकार ऐसे कार्यालयों में हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों की संख्या,हिन्दी में पत्रादि भेजने की सुविधाओं और उससे आनुषंगिक बातों को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर अवधारित करे।

4. केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के बीच पत्रादि-

a. केन्द्रीय सरकार के किसी एक मंत्रालय या विभाग और किसी दूसरे मंत्रालय या विभाग के बीच पत्रादि हिन्दी या अंग्रेजी में हो सकते हैं;

b. केन्द्रीय सरकार के एक मंत्रालय या विभाग और क्षेत्र 'क' में स्थित संलग्न या अधीनस्थ कार्यालयों के बीच पत्रादि हिन्दी में होंगे और ऐसे अनुपात में होंगे जो केन्द्रीय सरकार, ऐसे कार्यालयों में हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों की संख्या, हिन्दी में पत्रादि भेजने की सुविधाओं और उससे संबंधित आनुषंगिक बातों को ध्यान में रखते हुए, समय-समय पर अवधारित करे;

c. क्षेत्र 'क' में स्थित केन्द्रीय सरकार के ऐसे कार्यालयों के बीच, जो खण्ड (क) या खण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट कार्यालयों से भिन्न हैं, पत्रादि हिन्दी में होंगे;

d. क्षेत्र 'क' में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों और क्षेत्र 'ख' या 'ग'में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के बीच पत्रादि हिन्दी या अंग्रेजी में हो सकते हैं;

परन्तु ये पत्रादि हिन्दी में ऐसे अनुपात में होंगे जो केन्द्रीय सरकार ऐसे कार्यालयों में हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों की संख्या,हिन्दी में पत्रादि भेजने की सुविधाओं और उससे आनुषंगिक बातों को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर अवधारित करे ;

e. क्षेत्र 'ख' या 'ग' में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के बीच पत्रादि हिन्दी या अंग्रेजी में हो सकते हैं;

परन्तु ये पत्रादि हिन्दी में ऐसे अनुपात में

होंगे जो केन्द्रीय सरकार ऐसे कार्यालयों में हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों की संख्या,हिन्दी में पत्रादि भेजने की सुविधाओं और उससे आनुषंगिक बातों को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर अवधारित करे ;

परन्तु जहां ऐसे पत्रादि--

i. क्षेत्र 'क' या क्षेत्र 'ख' किसी कार्यालय को संबोधित हैं वहां यदि आवश्यक हो तो, उनका दूसरी भाषा में अनुवाद, पत्रादि प्राप्त करने के स्थान पर किया जाएगा;

ii. क्षेत्र 'ग' में किसी कार्यालय को संबोधित है वहां, उनका दूसरी भाषा में अनुवाद, उनके साथ भेजा जाएगा;

परन्तु यह और कि यदि कोई पत्रादि किसी अधिसूचित कार्यालय को संबोधित है तो दूसरी भाषा में ऐसा अनुवाद उपलब्ध कराने की अपेक्षा नहीं की जाएगी ।

5. हिन्दी में प्राप्त पत्रादि के उत्तर-

नियम 3 और नियम 4 में किसी बात के होते हुए भी, हिन्दी में पत्रादि के उत्तर केन्द्रीय सरकार के कार्यालय से हिन्दी में दिए जाएंगे।

6. हिन्दी और अंग्रेजी दोनों का प्रयोग-

अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट सभी दस्तावेजों के लिए हिन्दी और अंग्रेजी दोनों का प्रयोग किया जाएगा और ऐसे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्तियों का यह उत्तरदायित्व होगा कि वे यह सुनिश्चित कर लें कि ऐसी दस्तावेजें हिन्दी और अंग्रेजी दोनों ही में तैयार की जाती हैं, निष्पादित की जाती हैं और जारी की जाती हैं।

7. आवेदन, अभ्यावेदन आदि-

1. कोई कर्मचारी आवेदन, अपील या अभ्यावेदन हिन्दी या अंग्रेजी में कर सकता है।
2. जब उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट कोई आवेदन, अपील या अभ्यावेदन हिन्दी में किया गया हो या उस पर हिन्दी में हस्ताक्षर किए गए हों, तब उसका उत्तर हिन्दी में दिया जाएगा।
3. यदि कोई कर्मचारी यह चाहता है कि सेवा संबंधी विषयों (जिनके अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाहियां भी हैं) से संबंधित कोई आदेश या सूचना,जिसका कर्मचारी पर तामील किय जा ना अपेक्षित है, यथास्थिति, हिन्दी या अंग्रेजी में होनी चाहिए तो वह उसे असम्यक विलम्ब के बिना उसी भाषा में दी जाएगी।

8. केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में टिप्पणों का लिखा जाना -

1. कोई कर्मचारी किसी फाइल पर टिप्पण या कार्यवृत्त हिंदी या अंग्रेजी में लिख सकता है और उससे यह अपेक्षा नहीं की जाएगी कि वह उसका अनुवाद दूसरी भाषा में प्रस्तुत करे।
2. केन्द्रीय सरकार का कोई भी कर्मचारी, जो हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान रखता है, हिन्दी में किसी दस्तावेज के अंग्रेजी अनुवाद की मांग तभी कर सकता है, जब वह दस्तावेज विधिक या तकनीकी प्रकृति का है, अन्यथा नहीं।
3. यदि यह प्रश्न उठता है कि कोई विशिष्ट दस्तावेज विधिक या तकनीकी प्रकृति का है या नहीं तो विभाग या कार्यालय का प्रधान उसका विनिश्चय करेगा।

4. उपनियम (1) में किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार, आदेश द्वारा ऐसे अधिसूचित कार्यालयों को विनिर्दिष्ट कर सकती है जहां ऐसे कर्मचारियों द्वारा,जिन्हें हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त है, टिप्पण, प्रारूपण और ऐसे अन्य शासकीय प्रयोजनों के लिए, जो आदेश में विनिर्दिष्ट किए जाएं, केवल हिन्दी का प्रयोग किया जाएगा ।

9. हिन्दी में प्रवीणता-

यदि किसी कर्मचारी ने-

a. मैट्रिक परीक्षा या उसकी समतुल्य या उससे उच्चतर कोई परीक्षा हिन्दी के माध्यम से उत्तीर्ण कर ली है; या

b. स्नातक परीक्षा में अथवा स्नातक परीक्षा की समतुल्य या उससे उच्चतर किसी अन्य परीक्षा में हिन्दी को एक वैकल्पिक विषय के रूप में लिया हो; या

c. यदि वह इन नियमों से उपाबद्ध प्ररूप में यह घोषणा करता है कि उसे हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त है;

तो उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसने हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त कर ली है।

10. हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान-

1. a. यदि किसी कर्मचारी ने-

i. मैट्रिक परीक्षा या उसकी समतुल्य या उससे उच्चतर परीक्षा हिन्दी विषय के साथ उत्तीर्ण कर ली है; या

ii. केन्द्रीय सरकार की हिन्दी परीकाा योजना के अन्तर्गत आयोजित प्राज्ञ परीक्षा या यदि उस सरकार द्वारा किसी विशिष्ट प्रवर्ग के पदों के सम्बधं में उस योजना के अन्तर्गत कोई निम्नतर परीक्षा विनिर्दिष्ट है, वह परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है; या

iii. केन्द्रीय सरकार द्वारा उस निमित्त विनिर्दिष्ट कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है; या

b. यदि वह इन नियमों से उपाबद्ध प्ररूप में यह घोषणा करता है कि उसने ऐसा ज्ञान प्राप्त कर लिया है;

तो उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है।

2. यदि केन्द्रीय सरकार के किसी कार्यालय में कार्य करने वाले कर्मचारियों में से अस्सी प्रतिशत ने हिन्दी का ऐसा ज्ञान प्राप्त कर लिया है तो उस कार्यालय के कर्मचारियों के बारे में सामान्यतया यह समझा जाएगा कि उन्होंने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है।

3. केन्द्रीय सरकार या केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट कोई अधिकारी यह अवधारित कर सकता है कि केन्द्रीय सरकार के किसी कार्यालय के कर्मचारियों ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है या नहीं।

4. केन्द्रीय सरकार के जिन कार्यालयों में कर्मचारियों ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है उन कार्यालयों के नाम राजपत्र में अधिसूचित किए जाएंगे;

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार की राय है कि किसी अधिसूचित कार्यालय में काम करने वाले और हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले कर्मचारियों का प्रतिशत किसी तारीख में से उपनियम (2) में विनिर्दिष्ट प्रतिशत से कम हो गया है, तो वह राजपत्र में अधिसूचना द्वारा घोषित कर सकती है कि उक्त कार्यालय उस तारीख से अधिसूचित कार्यालय नहीं रह जाएगा।

11. मैनुअल, संहिताएं, प्रक्रिया संबंधी अन्य साहित्य, लेखन सामग्री आदि-

1. केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों से संबंधित सभी मैनुअल, संहिताएं और प्रक्रिया संबंधी अन्य साहित्य, हिन्दी और अंग्रेजी में द्विभाषिक रूप में यथास्थिति, मुद्रित या साइक्लोस्टाइल किया जाएगा और प्रकाशित किया जाएगा।
2. केन्द्रीय सरकार के किसी कार्यालय में प्रयोग किए जाने वाले रजिस्टरों के प्ररूप और शीर्षक हिन्दी और अंग्रेजी में होंगे।
3. केन्द्रीय सरकार के किसी कार्यालय में प्रयोग के लिए सभी नामपट्ट, सूचना पट्ट, पत्रशीर्ष और लिफाफों पर उत्कीर्ण लेख तथा लेखन सामग्री की अन्य मदें हिन्दी और अंग्रेजी में लिखी जाएंगी, मुद्रित या उत्कीर्ण होंगी;

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार ऐसा करना आवश्यक समझती है तो वह, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, केन्द्रीय सरकार के किसी कार्यालय को इस नियम के सभी या किन्हीं उपबधौ से छूट दे सकती है।

12. अनुपालन का उत्तरदायित्व-

1. केन्द्रीय सरकार के प्रत्येक कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह--
   i. यह सुनिश्चित करे कि अधिनियम और इन नियमों के उपबंधों और उपनियम (2) के अधीन जारी किए गए निदेशों का समुचित रूप से अनुपालन हो रहा है; और
   ii. इस प्रयोजन के लिए उपयुक्त और प्रभावकारी जांच के लिए उपाय करे ।
2. केन्द्रीय सरकार अधिनियम और इन नियमों के उपबधौ के सम्यक अनुपालन के लिए अपने कर्मचारियों और कार्यालयों को समय-समय पर आवश्यक निदेश जारी कर सकती है ।

[भारत का राजपत्र, भाग-2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

हिंदी पखवाड़ा 2025 की झलकियाँ

राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक की झलकियाँ

एमएसएमई में व्यापार करने में सुगमता पर अखिल भारतीय क्षैतिज लेखापरीक्षा सम्मेलन

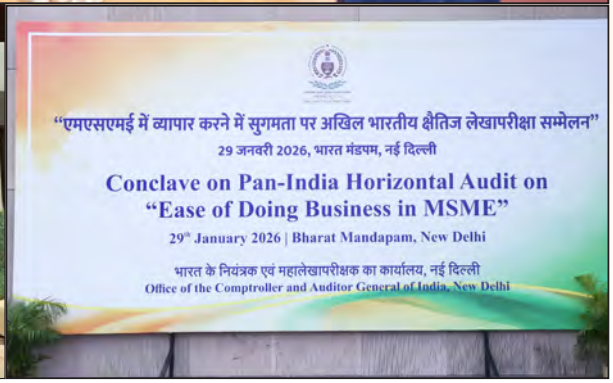

ऑडिट वॉक 2025 की झलकियाँ

सतर्कता जागरूकता सप्ताह-2025 की झलकियाँ

हिंदी अनुभाग द्वारा हिंदी कार्यशाला का आयोजन

मुख्यालय के राजभाषा निरीक्षण की झलकियाँ

वर्ष 2025 हेतु योग्यता प्रमाणपत्र वितरण समारोह की झलकियाँ

आपके पत्र

प्रधान महालेखाकार (ले0&ए0) का कार्यालय
बीरचंद पटेल पथ,
पटना, बिहार – 800001

OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (A&E),
BIRCHAND PATEL PATH
PATNA, BIHAR - 800001

SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
सत्यमेव जयते
Dedicated to Truth in Public Interest

पत्रांक/Letter No.:- हिं.अ./ले. व हक./5/पत्रिका प्रतिभाग/25-26/ 89
दिनांक/Date:- 07 .11.2025

सेवा में,
सहायक निदेशक (राजभाषा),
कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II), पश्चिम बंगाल,
कोलकाता-700064

विषय:- कार्यालय की हिंदी गृह पत्रिका "नूतन क्षितिज" के 17वें अंक की अभिस्वीकृति एवं प्रतिक्रिया।

महोदय/महोदया,

आपके कार्यालय की हिंदी पत्रिका "नूतन क्षितिज" के 17वें अंक की प्रति ई-मेल के माध्यम से प्राप्त हुई। पत्रिका की सभी रचनाएं ज्ञानवर्धक, प्रेरणादायी व पठनीय हैं। पत्रिका में समाहित कुछेक रचनाएँ यथा; **बंधन, अंतरात्मा का दीपक, कोमल-सा मन, दुनिया हैरत मे है, रवि-रजनी का मधुर मिलन, हमारे जीवन में मोबाइल फ़ोन का दखल, संघर्ष की स्याही से, भारतीय समाज में आधुनिक नारी की स्थिति, सरहद के सिपाही: घर से दूर, देश के लिए समर्पित, गौतम बुद्ध और विश्व शांति** तथा **भारत-एक गाथा** विशिष्टतः उल्लेखनीय हैं। आशा है कि यह पत्रिका राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार के साथ-साथ कार्यालय के कर्मिकों की हिंदी की मौलिक लेखन प्रतिभा को बढ़ावा देने में प्रेरक की भूमिका निभाएगी।

पत्रिका के उत्तम संपादन हेतु पत्रिका परिवार बधाई का पात्र है। पत्रिका के सतत् प्रकाशन एवं उज्जवल भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाओं सहित।

भवदीय,

Digitally signed by
SUNIL KUMAR
Date: 07-11-2025
17:50:32

सहायक निदेशक (राजभाषा)

Phone: 0612-2225634 Fax: 0612-2221056 Email: agaobihar@cag.gov.in

---

कार्यालय- महालेखाकार (लेखापरीक्षा)-II, महाराष्ट्र, नागपुर
O/o the Accountant General (Audit)-II, Maharashtra, Nagpur-440001

सं.हि.अनु./म.ले.प.(ले.प.-II)/प्रतिक्रिया/20/2025-26/जा.क्र. दिनांक: 24/10/2025

सेवा में,
सहायक निदेशक (राजभाषा)
कार्यालय- महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II)
पश्चिम बंगाल, कोलकाता

विषय:- हिंदी पत्रिका 'नूतन क्षितिज' के 17वें अंक की पावती के संबंध में ।

महोदय/महोदया,

आपके कार्यालय की हिंदी पत्रिका 'नूतन क्षितिज' के 17वें अंक की ई-प्रति प्राप्त हुई, सहर्ष धन्यवाद । पत्रिका में समाविष्ट सभी लेख, कविताएं, उत्कृष्ट एवं ज्ञानवर्धक हैं। विशेषकर सुश्री रश्मि सिंह स.ले.प.अ. का लेख 'प्रजातंत्र एवं भारत में निहित विविधता में एकता', श्री कमल कुमार, स.ले.प.अ. की कविता 'काव्य दर्शन (भाग-I) एवं (भाग-II)', श्री कृष्ण शंकर झा, स.ले.प.अ. का लेख 'प्रकृति के साथ सामंजस्य- सुविधा या दुविधा', श्री संतोष कुमार ठकुर, व.ले.प.अ. की कविता 'रवि- रजनी का मधुर मिलन', आदि रचनाएँ उल्लेखनीय एवं सराहनीय हैं।

पत्रिका का मुखपृष्ठ अत्यंत आकर्षक है। पत्रिका के रचनाकारों एवं संपादक मंडल को सफल संपादन तथा प्रकाशन हेतु हार्दिक बधाई एवं पत्रिका के उज्ज्वल भविष्य के लिए हमारे कार्यालय की ओर से हार्दिक शुभकामनाएँ।

(उप महालेखाकार/ प्रशासन के अनुमोदन से जारी)

भवदीया,

Digitally signed by
Priyanka B. Goswami
Date: 24-10-2025
11:20:10

सहायक निदेशक/राजभाषा

हि.क./हिंदीपत्रिकासमीक्षा/2020-21/(हि.डा.क्र.25/14.09.2021 I/1173577/2025

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)पंजाब,
चंडीगढ़-160017
OFFICE OF THE
PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT) PUNJAB,
CHANDIGARH-160017
फोन : 0172-2783168, फैक्स 0172-2703149
Email-agaupunjab@cag.gov.in

क्रमांक-रा.अ./हिंदीपत्रिकासमीक्षा/2025-26/I/1173577/2025 दिनांक:24-10-2025

सेवा में

सहायक निदेशक(राजभाषा)
कार्यालय प्रधान महालेखाकार(लेखापरीक्षा-II)पश्चिम बंगाल
कोलकाता700064

विषय:- हिंदी पत्रिका 'नूतन क्षितिज' के 17वें अंक की समीक्षा।

महोदय,

आपके कार्यालय से प्रकाशित पत्रिका "नूतन क्षितिज' के 17वें अंक की ई-प्रति प्राप्त हुई, पत्रिका हेतु सहर्ष धन्यवाद। पत्रिका में सम्मिलित सभी रचनाएँ उत्कृष्ट एवं ज्ञानवर्धक हैं। श्री कृष्ण शंकर झा की "प्रकृति के साथ सामंजस्य -सुविधा या दुविधा", श्री वसीम मिन्हास की "हमारे जीवन में मोबाइल फोन का दखल", श्री अजय चौधरी की "युवा, मानसिक स्वास्थ्य: बहुआयामी दृष्टिकोण और सुधार की राह",एवं श्री राजेश चौधरी की "खुद को बदलो, दुनिया बदलेगी" आदि रचनाएँ विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। पत्रिका की साज-सज्जा एवं विषयवस्तु का सुंदर प्रस्तुतिकरण अत्यंत प्रशंसनीय है। राजभाषा हिंदी की सृजनशीलता के उत्थान एवं कार्यालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की लेखन प्रतिभा को बढ़ावा देने हेतु आपका यह प्रयास सराहनीय है।

पत्रिका के रचनाकारों एवं संपादक मंडल को सफल संपादन तथा प्रकाशन हेतु हार्दिक बधाई। पत्रिका के निरंतर उज्वल भविष्य हेतु शुभकामनाएं

भवदीया

EKTA
सहायक निदेशक (राजभाषा)

कार्यालय महालेखाकार (ले एवं हक) उत्तराखण्ड
ऑडिट भवन, कौलागढ़, देहरादून-248195

पत्र सं.26.रा.भा.अनु./विभागीय पत्रिका/2025-26 I/1179295/2025 दिनांक:30-10-2025

सेवा में,
सहायक निदेशक (राजभाषा)
कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II)
पश्चिम बंगाल, कोलकाता

विषय:- हिन्दी ई-पत्रिका "नूतन क्षितिज" के 17वें अक की प्राप्ति के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया ,

आपके कार्यालय द्वारा प्रेषित हिन्दी ई-पत्रिका "नूतन क्षितिज" का 17वा अंक प्राप्त हुआ है। सहर्ष धन्यवाद।

पत्रिका में श्री शंकर कृष्ण झा की कविता "बंधन", श्री मनोरंजन कुमार की कविता "अंतरात्मा का दीपक", सुश्री सोनिया की कविता "दुनिया हैरत में है" एवं श्री राजेश चौधरी का लेख "बेरोजगारी" बहुत सुंदर एवं मनोरम है। प्रस्तुत अंक सराहनीय, पठनीय एवं संग्रहणीय है तथा राजभाषा की उत्तरोत्तर प्रगति हेतु एक सार्थक प्रयास है।

पत्रिका के उत्तम संयोजन, संपादन हेतु संपादक मण्डल को बधाई तथा पत्रिका की अविरल प्रगति तथा विकास हेतु हार्दिक शुभकामनाएं ।

भवदीया

Digitally signed by
Poonam Sharma
Date: 30-10-2025
12:22:46

सहायक निदेशक (राजभाषा)

आपके पत्र

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) का कार्यालय, झारखण्ड, राँची
Office of the Principal Accountant General (Audit), Jharkhand, Ranchi

संख्याः रा.भा.अनु./ले.प./90/पत्रिका-पावती/2025-26/173 दिनांक:12-11-2025

सेवा में,

सहायक निदेशक (राजभाषा)/हिंदी कक्ष
कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II), पश्चिम बंगाल,
कोलकाता- 700 001.

विषयः हिंदी गृह पत्रिका "नूतन क्षितिज" के 17वें अंक की ई-प्रति की पावती का प्रेषण के संबंध में।

महोदय,

आपके कार्यालय द्वारा प्रकाशित हिंदी पत्रिका "नूतन क्षितिज" के 17वें अंक की ई-प्रति की प्राप्ति हुई है। धन्यवाद!

पत्रिका का मुख और आंतरिक पृष्ठ बहुत ही सुंदर और आकर्षक है एवं मुद्रण कार्य उच्च स्तरीय है। साथ ही, पत्रिका में संकलित सभी रचनाएँ रोचक एवं ज्ञानवर्धक प्रकृति हैं, विशेषकर श्री कृष्ण शंकर झा की कविता "बंधन", सुश्री रश्मि सिंह की रचना "प्रजातंत्र एवं भारत में निहित विविधता में एकता", श्री कृष्ण शंकर झा की "प्रकृति के साथ सामंजस्य- सुविधा या दुविधा", श्रीमती नीलम प्रसाद की यात्रा वृतांत "धरती का स्वर्ग- मेरी कश्मीर यात्रा", सुश्री सोनिया द्वारा रचित "दुनिया हैरत में है", श्री मनोरंजन कुमार की कृति "जीवन- एक अबूझ पहेली" एवं श्री करुणाकर साहू की रचना "गौतम बुद्ध और विश्व शांति" आदि।

पत्रिका के सफल संपादन हेतु संपादक मंडल को हार्दिक बधाई तथा पत्रिका के उज्ज्वल भविष्य हेतु हार्दिक शुभकामनाएँ।

भवदीय,

सहायक निदेशक (रा.भा.)

दूरभाष/Telephone: 0651-2411670/2413690 फैक्स/Fax: 0651-2412517/2413701 ई-मेल/e-mail: agaujharkhand@cag.gov.in

---

क्षेत्रीय क्षमता निर्माण एवं ज्ञान संस्थान
भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग
20, सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज-211001

REGIONAL CAPACITY BUILDING & KNOWLEDGE INSTITUTE
Indian Audit & Accounts Department
20, Sarojini Naidu Marg, Prayagraj – 211001

पत्रांक- क्षे.क्ष.नि.ज्ञा.सं.(प्र.)/पत्रिका पावती(132)/2025-26/ 309 दिनांक : 15.10.2025

सेवा में,

सहायक निदेशक (राजभाषा)
कार्यालय- प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II)
पश्चिम बंगाल

विषयः- हिंदी पत्रिका 'नूतन क्षितिज' के 17वें अंक की पावती।

संदर्भः- ईमेल से प्राप्त पत्र दिनांक 10.10.2025

महोदय,

आपके कार्यालय की हिंदी पत्रिका 'नूतन क्षितिज' के 17वें अंक की प्राप्ति हुई। इस हेतु सादर धन्यवाद।

पत्रिका का आवरण पृष्ठ एवं छायांकन आकर्षक है। पत्रिका में सम्मिलित कार्यालयीन गतिविधियों की झलकियां मनमोहक हैं। पत्रिका में सम्मिलित समस्त रचनाएं प्रशंसनीय एवं रोचक हैं। विशेषतः **'सरहद के सिपाहीः घर से दूर, देश के लिए समर्पित', 'कोमल-सा-मन', 'ऑपरेशन सिंदूरः भारतीय सेवा की वीरता और राष्ट्रप्रेम का प्रतीक', 'दुनिया हैरत में है', 'संघर्ष की स्याही से', 'हम थक क्यों जाते हैं', 'संगीत-अनुपम अनुभूति'** एवं **'भारत देश महान'** बोधगम्य एवं पठनीय हैं।

पत्रिका के बेहतरीन संपादन हेतु संपादक मंडल को हार्दिक बधाई एवं पत्रिका की निरंतर प्रगति के लिए हार्दिक शुभकामनाएं।

भवदीय,

15.10.25

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी/सलाहकार

Phone:- 0532-2423485 Fax : 0532-2423485 E-mail- rtiallahabad@cag.gov.in

---

कार्यालय महालेखाकार (लेखा व हकदारी) पंजाब एवं यू.टी.
सेक्टर-17 ई, चंडीगढ़-160017
OFFICE OF THE
ACCOUNTANT GENERAL (A&E) PUNJAB & U.T.
SECTOR-17E, CHANDIGARH-160017

संख्या: रा.भा.अ./पत्रिका समीक्षा/फा.-10/2025-26/ दिनांक: 24.10.2025

सेवा में,

सहायक निदेशक (राजभाषा)
कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II), पश्चिम बंगाल,
सीजीओ काम्प्लेक्स, तृतीय बहुतलीय कार्यालय भवन,
सॉल्ट लेक, कोलकाता-700064

विषय : हिंदी पत्रिका 'नूतन क्षितिज' के 17वें अंक की पावती|

महोदय/महोदया,

आपके कार्यालय द्वारा प्रकाशित पत्रिका 'नूतन क्षितिज' के 17वें अंक की ई-प्रति प्राप्त हुई| इस पत्रिका में प्रकाशित सभी रचनाएं रुचिकर, भावयुक्त एवं उद्देश्यपूर्ण हैं| पत्रिका का आवरण पृष्ठ अति मनोहर एवं आकर्षक है|

पत्रिका में श्री कमल कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी की रचना 'चुप', सुश्री रश्मि कुमारी लेखापरीक्षक की रचना 'कोमल-सा मन' तथा श्री मनोरंजन कुमार डाटा एंट्री ऑपरेटर की रचना 'जीवन-एक अबूझ पहेली' विशेष रूप से प्रशंसनीय है| पत्रिका को सुरुचिपूर्ण एवं उपयोगी बनाने हेतु संपादकीय परिवार ने पूर्ण प्रयास किए हैं|

पत्रिका के सभी रचनाकारों एवं संपादक मंडल को पत्रिका के सफल प्रकाशन के लिए बधाई एवं पत्रिका की उत्तरोत्तर प्रगति के लिए शुभकामनाएं|

यह पत्र उप महालेखाकार (प्रशासन) के अनुमोदन से जारी है|

भवदीय

Digitally signed by
Rakesh Ranjan Mishra
Date: 24-10-2025
11:26:33
सहायक निदेशक (राजभाषा)

1

File No. हिंदीकक्ष/समीक्षा/4-10/2023-24/ (Computer No. 278756)
Generated from eOffice by RAKESH RANJAN MISHRA, RRM(AD-OL-RBH), ASSISTANT DIRECTOR (OFFICIAL LANGUAGE), AG-(A&E)-PUNJAB on 24/10/2025 11:33 am

---

भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा विभाग
INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT
प्रधाननिदेशक लेखा परीक्षा का कार्यालय
OFFICE OF THE PRINCIPAL DIRECTOR OF AUDIT
उत्तर रेलवे, बड़ौदा हाउस, नई दिल्ली- 110001
NORTHERN RAILWAY, BARODA HOUSE, NEW DELHI – 110001

सं. हिन्दी /17-18/2015/पत्रिका-I दिनांक:08.10.2025

सेवा में ,

सहायक निदेशक/राजभाषा
कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा II)
पश्चिम बंगाल

विषय:- हिन्दी पत्रिका "नूतन क्षितिज" के 17वें अंक की प्राप्ति पर सम्मति पत्र के प्रेषण के संबंध में ।

महोदय/महोदया,

आपके कार्यालय द्वारा प्रकाशित वार्षिक गृह पत्रिका **"नूतन क्षितिज"** के 17वें अंक की ई-प्रति प्राप्त हुई। सहर्ष धन्यवाद।

पत्रिका का आवरण व पृष्ठ सज्जा अत्यंत आकर्षक व सुंदर है। पत्रिका में समाविष्ट सभी रचनाएँ पठनीय व ज्ञानवर्धक हैं। पत्रिका के सभी रचनाकारों एवं संपादक मंडल को पत्रिका के सफल प्रकाशन हेतु बधाई एवं पत्रिका के उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएँ।

भवदीय

-ह-

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/हिन्दी

आपके पत्र

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा),
त्रिपुरा, कुंजवन, अगरतला- 799 006

संख्याः हिन्दी अनुभाग/ पत्रिका प्रतिक्रिया/2024-25/203 **दिनांकः 23/10/2025**

सेवा में,
कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा - II)
सेक्टर - 1, विधाननगर,
कोलकाता, पश्चिम बगांल,
पिन - 700091

विषयः पत्रिका के 17 वाँ अंक की प्राप्ति पर प्रतिक्रिया के संबंध में।

महोदय/ महोदया,

उपर्युक्त विषयांतर्गत उल्लेखनीय है कि आपके द्वारा प्रकाशित हिन्दी गृह-पत्रिका **'नूतन क्षितिज'** की प्रति प्राप्त हुई है जिसे हम सहर्ष स्वीकार करते हैं। पत्रिका की साज-सज्जा और विन्यास अत्यंत आकर्षक बन पड़ा है जिसके लिए आपको साधुवाद। पत्रिका में सम्मिलित समस्त रचनायें अतीव ज्ञानवर्धनीय, प्रेरक और समयानुकूल तथा प्रासंगिक हैं।

आगे, आपसे यही आशा करते हैं कि आप इसी प्रकार इस पत्रिका का प्रकाशन निरंतर जारी रखेंगे और राजभाषा हिन्दी के प्रचार-प्रसार और बढ़ावा देने में अपनी महती भूमिका द्वारा सदैव सभी को अभिप्रेरित भी करते रहेंगे। इन्हीं कामनाओं के साथ संपादक मण्डल सहित समस्त पत्रिका परिवार को धन्यवाद एवं बहुत-बहुत बधाई।

सादर, धन्यवाद!

भवदीय,

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (प्रशासन)

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), तमिलनाडु,
361, अन्ना सलाई, तेनामपेट, चेन्नई- 600 018
OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (A & E), TAMILNADU,
361, ANNA SALAI, TEYNAMPET, CHENNAI- 600 018
वेबसाइट/Website: https://cag.gov.in/ae/tamilnadu ई-मेल/Email: agaetamilnadu@cag.gov.in
IVRS Phone No.: 044-24325050, टेलीफ़ोन नं/Phone No.: 044-24324500, फैक्स नं/Fax No.: 044-24320562

सं. हिंदी कक्ष/ Hindi Cell /प्र.प./A.I./2025-26/24804 दिनांक: 01.12.2025

सेवा में,	To,
सहायक निदेशक (राजभाषा),	The Assistant Director(OL),
कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II)	Office of The Principal Accountant General (Audit - II), West Bengal, Kolkata
पश्चिम बंगाल, कोलकाता	Kolkata-700064
कोलकाता-700064	

विषय: आपकी पत्रिका हेतु प्रतिभाव पत्र – संबंधी

महोदय/ महोदया,

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II), पश्चिम बंगाल, कोलकाता द्वारा प्रकाशित हिंदी गृह पत्रिका "नूतन क्षितिज" के 17वें अंक की ई-प्रति इस कार्यालय को सहर्ष प्राप्त हुई है। पत्रिका हेतु हृदय से आभार। पत्रिका में समाहित सभी रचनाएँ पठनीय एवं उच्च स्तर की हैं। विभिन्न प्रकार की रचनाओं से सजी आपकी पत्रिका जैसे **"बंधन", "सरहद के सिपाही: घर से दूर, देश के लिए समर्पित", "कोमल सा मन", "भारत एक गाथा", "प्रकृति के साथ सामंजस्य- सुविधा या दुविधा", "रवि-रजनी का मधुर-मिलन," "संघर्ष की स्याही से", "हम थक क्यों जाते है?", "हमारे जीवन में मोबाईल फोन का दखल", "युवा मानसिक स्वास्थ्य: बहुआयामी दृष्टिकोण और सुधार की राह"**, अत्यंत ही रोचक एवं ज्ञानवर्धक एवं हृदय को भावविभोर करने वाली रचनाएँ हैं।

राजभाषा हिन्दी के प्रचार प्रसार में विभागीय रचनाकारों को उत्कृष्ट सृजनात्मक मंच प्रदान करने में आपकी इस पत्रिका की भूमिका महत्वपूर्ण है। 'नूतन क्षितिज' पत्रिका के सभी रचनाकारों एवं संपादक मंडल को पत्रिका के सफल प्रकाशन के लिए बधाई एवं पत्रिका की उत्तरोतर प्रगति हेतु हार्दिक शुभकामनाएं।

भवदीया,

सहायक निदेशक (राजभाषा)

कार्यालय प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा
उद्योग एवं कॉर्पोरेट कार्य
ऑडिट भवन, आई.पी.एस्टेट
नई दिल्ली–110002

OFFICE OF THE PRINCIPAL DIRECTOR OF AUDIT
INDUSTRY AND CORPORATE AFFAIRS
AUDIT BHAWAN, I.P. ESTATE
NEW DELHI-110002

SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
Dedicated to Truth in Public Interest

दिनांक / Date..............

सं. रा.भा./प्रशा./बाह्य पत्रि./23/2025-26/60 **दिनांक 31.10.2025**

सेवा में,
सहायक निदेशक (राजभाषा)
कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-2)
पश्चिम बंगाल
सीजीओ कॉम्प्लेक्स, तीसरी एमएसओ बिल्डिंग, 5 वां तल, डीएफ ब्लाक,
साल्ट लेक
कोलकाता- 700064

विषयः कार्यालय की हिंदी पत्रिका "नूतन क्षितिज" के 17 वें अंक की ई- प्रति का प्रेषण।

महोदय,

आपके कार्यालय द्वारा प्रेषित की गई हिंदी पत्रिका "नूतन क्षितिज" के 17 वें अंक की ई-प्रति प्राप्त हुई, सहर्ष धन्यवाद। कोलकाता की सांस्कृतिक एवं आधुनिकता को दर्शाने वाला पत्रिका का मुख्य एवं अंतिम पृष्ठ अत्यंत सुंदर है। पत्रिका की डिजाइनिंग एवं प्रस्तुतीकरण को बेहतर ढंग से किया है। पत्रिका में संकलित सभी रचनाएं पठनीय, रोचक एवं ज्ञानवर्धक हैं, विशेषकर सुश्री सुमन कुमारी, कनिष्ठ अनुवादक की "सरहद के सिपाहीः घर से दूर, देश के लिए समर्पित" एवं सुश्री रश्मि कुमारी, लेखापरीक्षक की "कोमल सा मन" विशेष रूप से प्रशंसनीय हैं।

पत्रिका राजभाषा हिंदी के प्रचार एवं प्रसार में अहम भूमिका का निर्वहन करती है। पत्रिका के संपादक एवं संपादक मंडल को पत्रिका के उज्ज्वल भविष्य की हार्दिक शुभकामनाएँ।

भवदीय,

सहायक निदेशक (राजभाषा)

राजभाषा नियम, 1976

हिंदी के अनुमानित ज्ञान के आधार पर देश के राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को तीन क्षेत्रों, यथा - क, ख, ग में परिभाषित किया गया है।

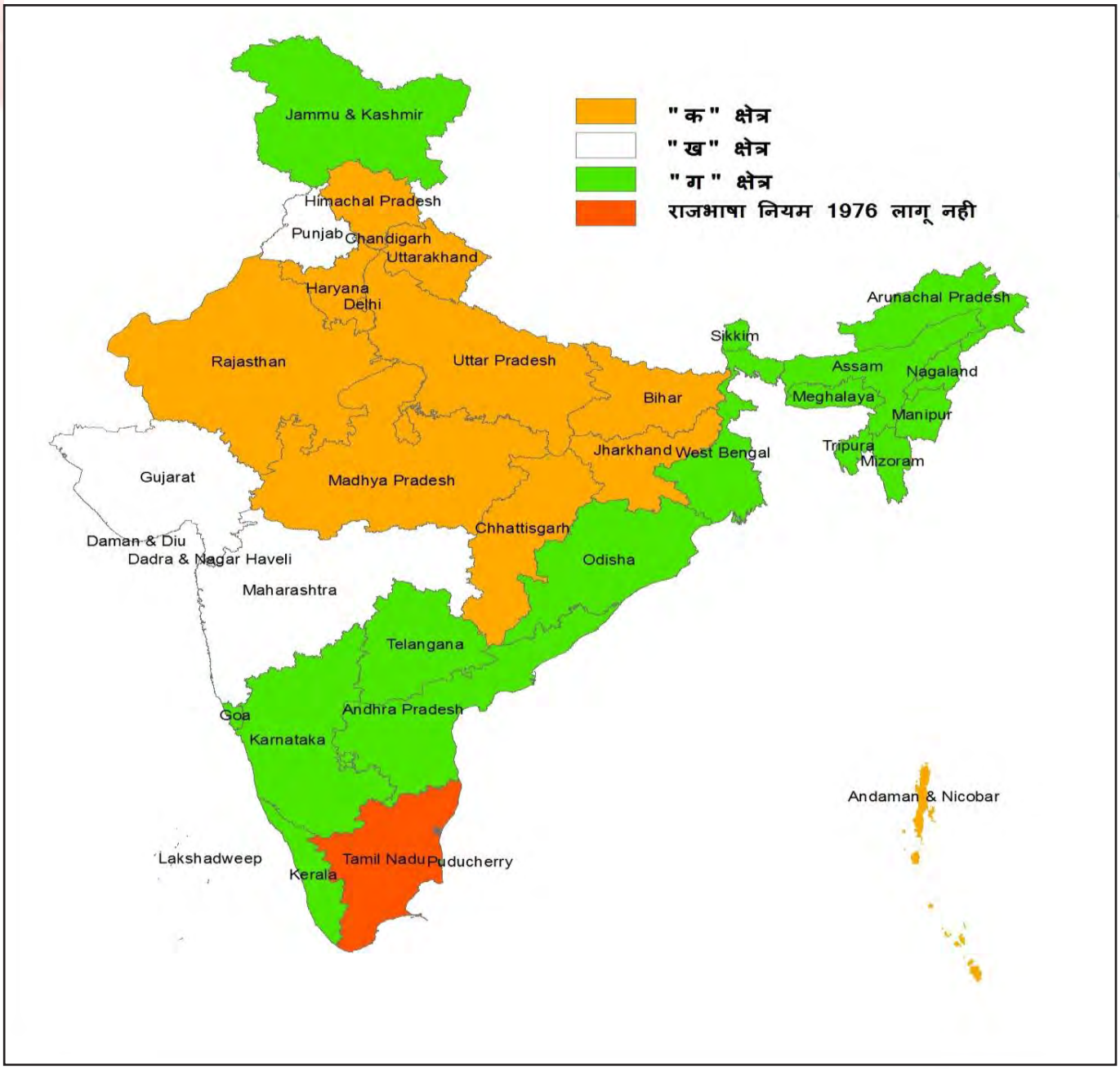

भाषा क्षेत्र	राज्य/संघ राज्य
'क'	बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्यप्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र
'ख'	गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब राज्य तथा चंडीगढ़, दमण और दीव तथा दादरा और नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र
'ग'	उपरोक्त निर्दिष्ट राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से भिन्न राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र

स्रोत : rajbhasha.gov.in

SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा

Dedicated to Truth in Public Interest

भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II)

पश्चिम बंगाल, कोलकाता - 700064